"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2016—वैशाख 30, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. डी. पी. राव, भा.प्र.से. (1988), अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मंडल के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2015

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2016 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 09-57/गृह-सी/परीक्षा/2016.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 01 अगस्त, 2016 से 06 अगस्त, 2016, तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 01-08-2016

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	सोमवार, दिनांक 01-08-2016	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 02-08-2016

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों की सहायता से)	

मंगलवार, दिनांक 02-08-2016

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

बुधवार, दिनांक 03-08-2016

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक शाखा" प्रश्न पत्र	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों की सहायता से)	

बुधवार, दिनांक 03-08-2016

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा एवं भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्यवय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों की सहायता से)	

गुरुवार, दिनांक 04-08-2016

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
34.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
	गुरुवार, दिनांक 04-08-2016	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं राजस्व तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
	शुक्रवार, दिनांक 05-08-2016	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
47.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
	शुक्रवार, दिनांक 05-08-2016	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
	शनिवार, दिनांक 06-08-2016	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/ जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 11-07-2016 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 मई 2016

क्रमांक 1554/एफ 21/01/2016/13/2.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत कंपनियों में डायरेक्टर के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 1214/एफ 21/01/2016/13/2 दिनांक 31-03-2016 को प्रशासनिक कारणों से तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा निरस्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-17/2016/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए खोंगापानी-झगराखाण्ड-नईलेदरी निवेश क्षेत्र जिला-कोरिया का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

खोंगापानी-झगराखाण्ड-नईलेदरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम झगराखाण्ड, खोंगापानी, नारायणपुर उर्फ तेन्दुडांड एवं परसागढ़ी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम परसागढ़ी ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम परसागढ़ी, नारायणपुर उर्फ तेन्दुडांड, गिद्धडांड, झगराखाण्ड, नईलेदरी एवं पुरानी लेदरी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम झगराखाण्ड ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-18/2016/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रेमनगर निवेश क्षेत्र जिला-सूरजपुर का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

प्रेमनगर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम लक्ष्मणपुर, प्रेमनगर एवं नमना ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम नमना एवं चन्दननगर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम चन्दननगर, अभयपुर, रघुनाथपुर, प्रेमनगर एवं लक्ष्मणपुर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम लक्ष्मणपुर की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 मई 2016

क्रमांक एफ 1-2/2016/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 25-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

3. **पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिये दैनिक भत्ता**—नगर पालिक निगम के महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षद को पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिए दैनिक भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :—

(क) महापौर — रुपये 13000.00 पारिश्रमिक तथा रुपये 4000.00 सत्कार भत्ता प्रतिमाह

(ख) अध्यक्ष (स्पीकर) — रुपये 11000.00 पारिश्रमिक तथा रुपये 2000.00 सत्कार भत्ता प्रतिमाह

(ग) पार्षद — रुपये 7500.00 पारिश्रमिक प्रतिमाह

(घ) निगम तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए महापौर, अध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये महापौर द्वारा वार्ड समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्य 225.00 रुपये प्रति बैठक की दर से, जो 900.00 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे:

परंतु एक दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक से अधिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 मई 2016

क्रमांक एफ 1-2/2016/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-2/2016/18 दिनांक 02-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 2nd May 2015

No. F 1-2/2016/18 :: In exercise of the powers conferred by Section 433 read with section 25-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), The State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Municipal Corporation (Remuneration and Allowances of Councillors) Rules 1995, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

3. **Remuneration and daily allowance for meetings—** The Remuneration and daily allowance for meetings shall be payable to Mayor, Speaker and Councillor of every Municipal Corporation shall be at the following Rates :—

(a) Mayor — Rs. 13000.00 remuneration and Rs. 4000-00 entertainment allowance, per month

(b) Speaker — Rs. 11000.00 remuneration and Rs. 2000-00 entertainment allowance, per month

(c) Councillor — Rs. 7500.00 remuneration per month

(d) For participating in the meetings of the Corporation and its Committees, the Mayor, Speakers, Councillor and the members nominated by Mayor in the Ward Committee for participating in the meetings of the concerned Wards Committee, a daily Allowance at the rate of Rs. 225.00 per meeting not exceeding, Rs. 900.00 per month, shall be entitled to receive :

Provided that participating for more than on meeting in a day, he shall not be eligible to get more than one allowance.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretarty.

नया रायपुर, दिनांक 2 मई 2016

क्रमांक एफ 1-2/2016/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 के साथ पठित धारा 353 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर पालिका (पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

3. **पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिये दैनिक भत्ता—**नगर पालिका तथा नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पार्षदों को पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिए दैनिक भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :—

(1) नगर पालिका परिषदों की दशा में—

(क) अध्यक्ष (स्पीकर) — रुपये 4000.00 पारिश्रमिक तथा रुपये 2000.00 सत्कार भत्ता प्रतिमाह

(ख) उपाध्यक्ष — रुपये 3000.00 पारिश्रमिक तथा रुपये 1000.00 सत्कार भत्ता प्रतिमाह

(ग) पार्षद — रुपये 2500.00 पारिश्रमिक प्रतिमाह

(घ) परिषद् तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये अध्यक्ष द्वारा वार्ड समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्य 195.00 रुपये प्रति बैठक की दर से, जो 375.00 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे:

परंतु एक दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक से अधिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

(2) नगर पंचायतों की दशा में—

(क) अध्यक्ष (स्पीकर) — रुपये 3000.00 पारिश्रमिक तथा रुपये 1400.00 सत्कार भत्ता प्रतिमाह

(ख) उपाध्यक्ष — रुपये 2500.00 पारिश्रमिक तथा रुपये 1000.00 सत्कार भत्ता प्रतिमाह

(ग) पार्षद — रुपये 2000.00 पारिश्रमिक प्रतिमाह

(घ) परिषद् तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये अध्यक्ष द्वारा वार्ड समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्य 120.00 रुपये प्रति बैठक की दर से, जो 360.00 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे:

परंतु एक दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक से अधिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 मई 2016

क्रमांक एफ 1-2/2016/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-2/2016/18 दिनांक 02-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 2nd May 2015

No. F 1-2/2016/18 :: In exercise of the powers conferred by Section 355 read with section 353 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), The State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Municipalities (Remuneration and Allowances of Councillors) Rules 1995, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

3. **Remuneration and daily allowance for meetings—** The Remuneration and daily allowance for meetings shall be payable to President, Vice-President and Councillor of every Municipality and Nagar Panchayat

shall be at the following Rates :—

(1) In Case Of Municipal Councils

(a) President — Rs. 4000.00 remuneration and Rs. 2000.00 entertainment allowance, per month.

(b) Vice-President — Rs. 3000.00 remuneration and Rs. 1000.00 entertainment allowance, per month.

(c) Councillor — Rs. 2500.00 remuneration per month

(d) For participating in the meetings of the Councils and its Committees, the President, Vice-President, Councillors and the members nominated by President in the Ward Committee for participating in the meetings of the concerned Wards Committee, a daily Allowance at the rate of Rs. 195.00 per meeting not exceeding, Rs. 375.00 per month, shall be entitled to receive :

Provided that participating for more than on meeting in a day, he shall not be eligible to get more than one allowance.

(2) In Case Of Nagar Panchayat

(a) President — Rs. 3000.00 remuneration and Rs.1400.00 entertainment allowance, per month.

(b) Vice-President — Rs. 2500.00 remuneration and Rs. 1000-00 entertainment allowance, per month.

(c) Councillor — Rs. 2000.00 remuneration per month

(d) For participating in the meetings of the Councils and its Committees, the President, Vice-President, Councillors and the members nominated by President in the Ward Committee for participating in the meetings of the concerned Wards Committee, a daily Allowance at the rate of Rs. 120.00 per meeting not exceeding, Rs. 360.00 per month, shall be entitled to receive :

Provided that participating for more than on meeting in a day, he shall not be eligible to get more than one allowance.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretarty.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2016

क्रमांक/8857/डी-07/01/2001/पार्ट-2/14-2.—खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 (1983 का सं. 35) की धारा 37 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, खतरनाक मशीन के उपयोग एवं नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ खतरानक मशीन (विनियमन) नियम, 2016 कहलायेंगे.

(2) ये ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें और विभिन्न नियमों के लिए विभिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी.

2. **परिभाषाएं :–**

(1) इन नियमों मे जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम 1983 (1983 का सं. 35);

(ख) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है अनुसूची में दिया गया प्ररूप ;

(ग) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न अनुसूची ;

(घ) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ;

(2) शब्द तथा अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं.

3. **अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र का प्रारुप :–**

(1) किसी खतरनाक मशीन के विनिर्माण या विनिर्माता के रुप में कारोबार आरंभ करने या संचालित करने हेतु अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान किये जाने पर प्ररुप – एक में किया जाएगा :–

सारणी

जहाँ कारोबार के अनुक्रम में विनिर्माण, विक्रय या व्यवहार किये जाने हेतु प्रस्तावित श्रेणी की प्रत्येक खतरनाक मशीन का मूल्य :–

(1)	(2)
(एक) दो हजार रुपये से अधिक हो किन्तु पांच हजार रुपये से अधिक न हो.	(एक) पांच सौ रुपये.
(दो) पांच हजार रुपये से अधिक हो किन्तु दस हजार रुपये से अधिक न हो.	(दो) एक हजार रुपये
(तीन) दस हजार रुपये से अधिक हो	(तीन) एक हजार पांच सौ रुपये

(2) खतरनाक मशीन के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पृथक आवेदन पत्र आवश्यक होगा।

(3) किसी खतरनाक मशीन के व्यापारी के रुप में कारोबार आरंभ या संचालित करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान किये जाने पर प्ररुप – दो में किया जायेगाः

परन्तु जहां किसी खतरनाक मशीन के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने वाला विनिर्माता, ऐसी खतरनाक मशीन का सीधे विक्रय उपभोक्ता को करता है तो ऐसे विनिर्माता को व्यापारी के रुप में कारोबार करने के लिए अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं होगी।

4. **अनुज्ञप्ति के नवीनकरण के लिए आवेदन का प्ररुप :–** खतरनाक मशीन के विनिर्माता अथवा व्यापारी के रुप में विनिर्माण करने या कारोबार आरंभ करने या संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र प्ररुप–तीन में किया जायेगा और उसके साथ नियम 3 के उप–नियम में विनिर्दिष्ट फीस देय होगी।

5. **अनुदेश पुस्तिका में सम्मिलित की जाने वाले सावधानियां :–** धारा 15 के अनुसरण में तैयार किये गये प्रत्येक अनुदेश पुस्तिका में निम्नलिखित सावधानियों को सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात :–

(एक) कार्य करते समय ढीले कपड़े चुड़ियां (कड़े) और वैसी ही चीजें न पहने ;

(दो) थ्रेसिंग यार्ड या थ्रेसर के पान धुम्रपान न करें और न अग्नि प्रज्वलित करें ;

(तीन) कार्य करते समय मादक वस्तुयें जैसे शराब, अफीम और वैसी ही अन्य वस्तुओं के प्रभाव मे न रहें ;

(चार) जब थ्रेसर चालू हो या ले जाया जा रहा हो, उसके ऊपर खड़े न हो ;

(पांच) पट्टों को पार न करें;

(छः) बालों के सिरों को हाथों से न लगायें दबाव युक्ति का उपयोग करें ;

(सात) जब थके हुए हों तक काम न करें ;
(आठ) बिना रक्षकों और सुरक्षा युक्तियों के थ्रेसर को संचालित न करें ;
(नौ) जब थ्रेसर चालू हो, तो किसी भी प्रकार का सामायोजन न करें ;
(दस) जब पुली गतिशील, हो तो पट्टे को चढ़ाने या उतारने का कार्य न करें ;
(ग्यारह) खिलाने वाली पनाली में सावधान चिन्ह के आगे हाथ न डालें.

6 **धारा 16 के अधीन घोषणा :–** धारा 16 के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा प्रारुप चार में की जायेगी.

7 **वह रीति जिसमें रजिस्टर, रिकार्ड और लेखे संधारित किये जायेंगे :–**

(1) प्रत्येक विनिर्माता, प्ररुप–पांच में एक मासिक रजिस्टर संधारित करेगा, जिसमें मास के दौरान उसके द्वारा विनिर्मित प्रत्येक खतरनाक मशीन का क्रमांक तथा अन्य विशिष्टियाँ उपदर्शित की जायेगी.

(2) प्रत्येक विनिर्माता और प्रत्येक व्यापारी, एक रजिस्टर प्ररुप–छः में एक रजिस्टर संधारित करेगा, जिसमें मास के दौरान उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में खतरनाक मशीनों या उनके पुर्जों के मासिक स्टॉक को उपदर्शित किया जायेगा, और स्टाक में बढ़ोत्री अथवा कमी तथा कुल स्टॉक जो अगले माह में अंतरित किया जाये, का विवरण भी रखेगा.

(3) प्रत्येक विनिर्माता या व्यापारी, प्ररुप–सात में मासिक लेखे संधारित करेगा, जिसमें माह के दौरान किये गये संव्यवहारों का मूल्य तथा ऐसे संव्यवहार के संबंध में वसूल किया गया या वसूल की जाने वाली रकम उपदर्शित की जायेगी और जब किसी माह में कोई संव्यवहार न हुआ हो, तो 'निरंक' अभिलिखित किया जायेगा.

8 **खतरनाक मशीनों के उपयोगकर्ता द्वारा पंजीकरण हेतु किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्ररुप :–**

(1) खतरनाक मशीनों के उपयोगकर्ताओं द्वारा, उसके पंजीकरण के प्रयोजन हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र प्ररुप–आठ में किया जायेगा और जिसके साथ नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट फीस देय होगी :–

सारणी

(1)	(2)
(क) जहां खतरनाक मशीनों का मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक न हो.	सौ रुपये
(ख) जहां खतरनाक मशीनों का मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक हो.	एक सौ पचास रुपये

(2) नियंत्रक द्वारा आवेदक को दिया गया प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण पत्र, प्ररुप–नौ में होगा.

(3) प्रत्येक खतरनाक मशीन का पंजीकरण क्रमांक, मशीन के ढांचे (बाडी) पर या मशीन पर स्थाई रुप से जड़ी हुई पट्टीका पर 10 इंच X 15 इंच की सफेद पृष्ठ भूमि पर काले रंग से रोमन लिपि में स्पष्ट रुप से अंकित किया जायेगा.

(4) धारा 19 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रजिस्टर, प्ररुप–दस में संधारित किया जायेगा.

9 **प्राथमिक उपचार देने के लिये व्यवस्थायें :–** प्रत्येक खतरनाक मशीन के साथ, एक प्राथमिक उपचार पेटी की व्यवस्था रहेगी तथा उसको बनाये रखा जायेगा, जिससे कि मशीन के चालू रहने के समस्त समय के दौरान तत्परतापूर्वक पहुंच में हो सके, जो सफेद पृष्ठ भूमि पर रेड क्रास से विशिष्टतापूर्वक अंकित होगी और वह निम्नलिखित सामग्री से सुसज्जित होगी, अर्थात् :–

(एक) छोटे आकार के छः रोगाणुरहित व्रणोपचार (ड्रेसिंग) ;
(दो) मध्यम आकार के तीन रोगाणुरहित व्रणोपचार;

(तीन) उड़े आकार के तीन रोगाणुरहित व्रणोपचार;
(चार) लम्बे आकार के तीन बर्न व्रणोपचार;
(पांच) मरक्यूरी क्रीम घोल की 100 मि.लि. की एक बोतल ;
(छः) उपयुक्त रोगाणुरोधक घोल की 100 मिलि. की एक बोतल ;
(सात) सालवोलेटाइल घोल की 30 मि.लि. की एक बोतल ;
(आठ) एक कैंची;
(नौ) एडेसिव प्लास्टर का एक रोल;
(दस) अलग–अलग मोहरबंद पैड में रखे रोगाणुरहित आई पेस्ट के छः पीस;
(ग्यारह) एक बोतल जिसमें एस्प्रिन या अन्य कोई दर्द निवारक 100 गोलियां हों (प्रत्येक पांच ग्रेन की);
(बारह) आँख धोने के लिये (आधा लीटर क्षमता की) पोलिपिन की धोने की बोतल;
(तेरह) 60 मि.लि. की एक बोतल जिसमें पोटेशियम परमेंगनेट क्रिस्टल हों;
(चौदह) एक रक्त बंघ (टोर्निकिट);
(पंद्रह) सेफ्टी पिन एक दर्जन;
(सोलह) छः उपयुक्त कमचियॉ (स्पिलिन्ट);
(सत्रह) रुई पर्याप्त मात्रा में;
(अट्ठारह) मशीन के ऑपरेटर/उपयोगकर्ताओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा में प्रथमोपचार पत्रिका

10. **नामाकंन का प्रारुप :–**

(1) धारा 22 की उप–धारा (1) प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट नामांकन प्ररुप–ग्यारह में किया जायेगा।

(2) नियंत्रक, धारा 22 की उप–धारा (1) प्रथम परन्तुक के अधीन उसके द्वारा भरे नामांकनों के रजिस्टर को प्ररुप–बारह में रखेगा।

11. **बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाने वाला प्रतिकर :–** धारा 22 की उप–धारा (1) के अधीन देय प्रतिकर की रकम का अवधारण बीमाकर्ता द्वारा धारा 22 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा और प्रतिकर की रकम उस रकम के बराबर होगी, जो चालक को उस स्थिति में देय होती, यदि वह कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का सं. 8) के अर्थ के अंतर्गत कर्मकार होता।

12. **बीमा राशि को कैसे निर्धारित किया जायेगा :–** प्रत्येक नियोक्ता निम्नानुसार बीमा पॉलिसी लेगा :–

(एक)	(क)	15 अश्वशक्ति तक के पावर थ्रेसर/शक्ति चलित कुट्टी मशीन और शक्ति चलित गन्ना दलित्र (क्रशर).	प्रति मशीन/प्रतिवर्ष 500.00
	(ख)	पावर थ्रेसर/शक्ति चलित कुट्टी मशीन और शक्ति चलित गन्ना दलित्र (क्रशर) जो 15 अश्वशक्ति से अधिक हों, किन्तु 50 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	प्रति मशीन/प्रतिवर्ष 750.00
	(ग)	50 अश्वशक्ति से अधिक की अश्वशक्ति के पावर थ्रेसर/शक्ति चलित कुट्टी मशीन और शक्ति चलित गन्ना दलित्र (क्रशर) के लिये.	प्रति मशीन/प्रतिवर्ष 1000.00

(दो) खतरनाक मशीनों के उन चालकों के संबंध में, जिन्हे किसी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता हो, ऐसे चालकों की मजदुरी का राष्ट्रीय मूल्य कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 (1923 का सं. 8) की अनुसूची के अनुसार देय प्रतिकर की गणना के प्रयोजन हेतु 4500 रुपये प्रतिमाह नियत किया जा सकेगा.

13. **धारा 26 के अधीन सूचना कैसे परिदत्त की जायेगी :–** धारा 26 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सूचना, नियोक्ता द्वारा निरीक्षक को, यदि संभव हो, व्यक्तिगत रुप से परिदत्त की जायेगी या जहां इस प्रकार व्यक्तिगत रुप से परिदत्त किया जाना संभव न हो, वहां नियोक्ता ऐसी सूचना, सम्यक् अभिस्वीकृत रजिस्टर्ड डाक से निरीक्षक को भेजेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

अनुसूची
(नियम 3 देखिये)

प्ररुप–एक
खनियम 3 (1) देखिये,

खतरनाक मशीनों के विनिर्माता के रूप में उनका विनिर्माण करने/कारोबार आरंभ करने या संचालित करने के लिये अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र का प्ररुप.

1. आवेदक का नाम :..
2. क्या वह पूर्ण स्वामित्व (सोल प्रोपराइटरशिप) :..
   भागीदारी/पब्लिक लिमिटेड/प्रायवेट लिमिटेड कंपनी/ट्रस्ट है,
3. डाक का पूरा पता :..
4. खतरनाक मशीन जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :..
5. विशिष्टयां तथा अन्य ब्यौरे :..
   (क) व्यापारिक नाम :..
   (ख) संक्षिप्त विवरण :..
   (ग) सभी मापजोख :..
   (घ) मशीन के संचालन हेतु आवश्यक प्राइम मूवर की क्षमता (अश्व–शक्ति में) :..
   (ड़) उत्पादन (क्विंटल/प्रति घण्टा) :..
   (च) चलाने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या :..
   (छ) निर्धारित मानक जिनके कि अनुरुप मशीन है या होगी (मानक विनिर्दिष्ट करें) :..
6. मैं/हम एतद् द्वारा विनिर्माता के रुप में विनिर्माण आरम्भ करने/कारोबार चलाने, के लिये आवेदन करते हैं, अनुज्ञप्ति फीस रु. नगद/चैक द्वारा रसीद नं. .... दिनांक .... द्वारा (संलग्न है) जमा किये जा चुके हैं,
7. (एक) मैं/हम घोषित करते हैं कि विनिर्मित की जाने वाली मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरुप होगी (उन आवेदकों के लिये विनिर्माता के रुप में कारोबार आरम्भ करना प्रस्तावित करते हैं)
   (दो) मैं/हम घोषित करते हैं कि हमारे द्वारा विनिर्मित की जाने वाली खतरनाक मशीनें धारा 13 के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों का अनुवर्तन करेगा (उन आवेदकों के लिये जो कारोबार चलाना प्रस्तावित करते हों)
   [7. (एक) या (दो) में से जो लागू न हो, काट दीजिये)]

दिनांक...................................
स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर
पदनाम

प्ररूप — दो

[नियम 3 (2) तथा (3) देखिये]

खतरनाक मशीन के व्यापारी के रुप में कारोबार आरंभ करने या संचालित करने की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र का प्ररूप

1. आवेदक का नाम :..
2. क्या वह पूर्ण स्वामित्व/भागीदारी फर्म आदि है? : :..
3. पूरा पता :..
4. खतरनाक मशीन (मशीनें) जिनके लिये अनुज्ञप्ति :..
   अपेक्षित है (प्रत्येक का व्यापारिक, नाम तथा संक्षिप्त विवरण दीजिये)
5. क्या मशीनें विहित मानकों के अनुरुप है? :..
   (कौन से नामकों के अनुरुप है, उपदर्शित करें)

6

विनिर्माता का नाम	क्या खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 के अधीन अनुज्ञप्ति धारी हैं ?	यदि हां, तो अनुज्ञप्ति का क्रमांक तथा दिनांक अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)

टीप :— उपरोक्त (5) या (6) के अधीन दी गई जानकारी, सत्यापन के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति स्वीकार करने के लिये पर्याप्त समझी जायेंगी।

7. मैं एतद्द्वारा खतरनाक मशीनों के व्यापारी के रुप में कारोबार आरम्भ/संचालित करने के लिये आवेदन करता हूँ। अनुज्ञप्ति फीस रु. .... नगद में रसीद क्र. .... दिनांक .... (संलग्न है) द्वारा जमा की जा चुकी है।

8. मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम ऐसी मशीनों का, जो खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 (1983 का सं. 35) के अधीन विहित मानकों के अनुरुप नहीं होंगी, कारोबार नहीं करेंगे।

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर

पदनाम

प्ररुप — तीन

(नियम 4 देखिये)

खतरनाक मशीन के विनिर्माता या व्यापारी के रुप में उनका विनिर्माण करने, कारोबार आरम्भ या संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन–पत्र का प्ररूप

1. आवेदक का नाम :..
2. पूरा पता :..
3. अनुज्ञप्ति जिनका नवीकरण चाहा गया है, के ब्यौरे
   (एक) अनुज्ञप्ति क्रमांक तथा दिनांक :..
   (दो) वैधता की कालावधि :..
4. अनुज्ञप्ति नवीकरण फीस रु. .... नगद/चैक में रसीद क्रमांक .... दिनांक .... (संलग्न है) द्वारा जमा की जा चुकी है,

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर

पदनाम

प्ररुप — चार

(नियम 6 देखिये)

अधिनियम के अधीन खतरनाक मशीनों के पंजीकरण के लिये घोषणा का प्ररुप, तीन प्रतियों में दिया जाये

मैंने/हमने दिनांक .... को श्री ....

मेसर्स ....

(नाम) ....

(पता) ....

को निम्नलिखित वर्णित ब्यौरे की मशीन ....

(संख्या दीजिये)

(मशीन का नाम) विक्रय/किराये/ठेके पर दिनांक ....को अन्तरित कर दी है/प्रदाय कर दी है, (जो लागू न हो, काट दीजिये).

यह प्रमाणित किया जाता है. यह नियम द्वारा या उनके अधीन बनाये गये अन्य नियमों के अधीन अधिकथित मानकों के अनुरुप है :–

1. निर्माता तथा मॉडल :..
2. मशीन का अनुक्रमांक :..
3. विनिर्माण का वर्ष :..
4. अश्वशक्ति/किलोवाट :..
5. क्षमता :..

दिनांक ....

स्थान ....

हस्ताक्षर

पदनाम

पता..

प्ररुप — पांच

[नियम 7 (1) देखिये]

विनिर्माता द्वारा संधारित किये जाने वाले रजिस्टर का प्ररुप

अनुक्रमांक	विनिर्माता का माह तथा वर्ष	मशीन में संक्षिप्त ब्यौरे तथा प्राइम/मूवर (यदि मशीन के साथ प्रदाय किया जाए) का माडल तथा आकार
(1)	(2)	(3)

प्ररुप — छः

[नियम 7 (2) देखिये]

विनिर्माता/व्यापारी द्वारा संधारित किये जाने वाले स्टॉक का रजिस्टर

सं. क्र.	मशीन के संक्षिप्त विवरण निर्माता, मॉडल, क्षमता	दिनांक	प्रारंभिक स्टॉक की विशिष्टियां	माह के दौरान प्राप्त स्टॉक की विशिष्टियां	माह के दौरान बिक्री की गयी, अन्तरित या अन्यथा व्ययन की गई मशीन की विशिष्टियां	बंद स्टॉक की विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्ररुप — सात

[नियम 7 (3) देखिये]

मासिक स्टॉक लेखा का रजिस्टर

दिनांक	प्रारंभिक स्टॉक की विशिष्टियां	मास के दौरान बेचे गये, अंतरित किये गये या अन्यथा व्ययन किये गये स्टॉक की विशिष्टियां	मास के दौरान प्रत्येक संव्यवहार के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने वाली रकम	माह के दौरान प्राप्त की गई कुल रकम	संबंधित माह के विकलनीय कुल व्यय	संबंधित माह में विकलनीय कुल प्राप्त या हानि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्ररुप — आठ

[नियम 8 (1) देखिये]

घोषणा का प्ररुप

उपभोक्ता द्वारा खतरनाक मशीनों के पंजीकरण के लिये आवेदन–पत्र का प्ररुप

मैंने/हम (नाम) .... पता .... मशीन जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, का स्वामी हू/हैं उस पर (किरायेदार/पट्टेदार या अन्यथा के रुप में) नियंत्रण अर्जित कर लिया है और उसके रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता हूं/करते हैं, अर्थात् :–

(क) मशीन का नाम और क्रमांक :...

(ख) निर्माता/मॉडल :...

(ग) क्रय/किराये/पट्टे या अन्य प्रकार से अन्तरण का दिनांक/वर्ष :...

(घ) प्रदायकर्ता/अन्तरकर्ता का नाम और पता : ....

इस प्रभाव का प्रमाण–पत्र कि मशीन विहीत मानकों के अनुरुप हैं, संलग्न है,

प्रमाणित किया जाता हूं कि मैं/हम अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व से मशीन का उपयोग कर रहे है और मशीन मानकों के अनुरुप है या इस प्रकार उपांतरित की गई है जिससे कि वह विहित किये गये मानकों के अनुरुप बन गई है, रजिस्ट्रेशन फीस रुपये .... प्रति मशीन नगद/चैक/चालान क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा जमा की जा चुकि है और रसीद क्रमांक संलग्न है।

(जो लागू न हो, काट दीजिये)

दिनांक ....

स्थान ....

....

हस्ताक्षर तथा पता

प्ररुप — नौ

[नियम 8 (2) देखिये]

नियंत्रक द्वारा उपयोगकर्ता को दिये जाने वाले प्रमाणपत्र का प्ररुप

पंजीकरण क्र. ....

1. उपयोगकर्ता का नाम :...
2. नाम (पिता/पति का) :...
3. पता :...

उपयोग में लाई गई, मशीन की विशिष्टियां

1. उपयोग में लाई गई खतरनाक मशीन का नाम :...
2. निर्माता तथा मॉडल :...
3. विनिर्माण के वर्ष के साथ प्रदायकर्ता का/अन्तरणकर्ता का नाम तथा पता :...
4. मशीन का सरल क्रमांक, यदि कोई हो, :...

दिनांक ....

स्थान ....

....

पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

(नियंत्रक)

प्ररुप — दस

[नियम 8 (3) देखिये]

धारा 19 (3) के अधीन नियंत्रक द्वारा संधारित किये जाने वाले रजिस्टर का प्ररुप

स. क्र.	खतरनाक मशीन का नाम	निर्माता द्वारा (पुरा पता दीजिये)	प्रदायकर्ता द्वारा (उसका पूरा पता दीजिये)	निर्माता, मॉडल, क्षमता और मशीन का स.क्र. यदि कोई हो	क्या नई मशीन है या पुरानी उपरान्तरित मशीन है ?	स्वामित्व की/ द्वारा उपयोग की गई (यहां नाम तथा पूरा पता दीजिये)	पंजीकरण स्वीकार किये जाने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्ररुप — ग्यारह

[नियम 10 (1) देखिये]

धारा 22 की उप–धारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किये जाने वाले नामनिर्देशन पत्र का प्ररुप

मैं (नाम) .... आत्मज (नाम) ....
निवासी (पता) ....का कोई परिवार नहीं है तथा परिणामतः मैं खतरनाक मशीन के दौरान मेरी मृत्यु होने की दषा में एतद् द्वारा श्री (नाम) .... पुत्र/पुत्री (नाम) ....निवासी (पता) .... को अधिनियम के अधीन देय प्रतिक का पूरा भुगतान पाने के लिये नामनिर्दिष्ट करता हूं।

दिनांक ....

स्थान ....

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

साक्षी

....

(नाम)

....

पता

....

प्ररुप – बारह
[नियम 10 (2) देखिये]

नियंत्रक द्वारा संधारितकिये जाने वाले रजिस्टर का प्ररुप

स. क्र.	से प्राप्त (नामांकन करने वाले ऑपरेटर का पूरा नाम तथा पता	ऑपरेटर के नियोक्ता का नाम	नाम नामनिर्देशितों का नाम तथा पूरा पता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2016

क्रमांक/8857/डी-07/01/2001/पार्ट-2/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/8857/रायपुर दिनांक 03-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 3rd May 2016

No./8857/D-07/01/2001/Part-2/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 37 of the Dangerous Machines (Regulation) Act. 1983 (No. 35 of 1983) the State Government, hereby, makes the following rules relating to use and control of dangerous machines, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement :—**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh Dangerous Machines (Regulation) Rules 2016.

   (2) It shall come into force on such date as the state Government may, by notification specify, and different dates may be specified for different rules.

2. **Definitions.—**
   (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —
      (a) "Act" means the Dangeious Machines Act. 1983 (No 35 of 1983);
      (b) " Form" means a form given to the schedule;
      (c) "Schedule" means Schedule appended tothese rules;
      (d) "Section" means a section of the Act.

   (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them under the Act.

3. **Form of application for licence —**

(1) Every application for the issue of a licence to manufacture, or commence or carry on business as a manufacturer of any dangerous machine shall be made in FORM-I on payment of the fee specified in column (2) of the table below :—

TABLE

WHERE the value of each dangerous machine of a category proposed to be manufactured, sale or dealt within the course of business :—

1		2
(i)	Exceeds two thousand rupees but does not exceed five thousand rupees	(i) Five hundred rupees
(ii)	Exceeds five thousand rupees but does not exceed ten thousand rupees	(ii) One thousand rupees
(iii)	Exceeds ten thousand rupees	(iii) One thousand five hundred rupees

(2) For each category of dangerous machine a seprate application shall be required.

(3) Every application for a licence to commence or to carry on business as a dealer of any dangerous machine shall be made in FORM-II on payment of the fee specified in sub-rule (1);

Provided that where a manufacture holding a licence for the manufacture of any dangerous machine, sells such dangerous machine directly to a user, such manufacture shall not be required to take out a lincee to carry on business as a dealer.

4. **Form of application for renewal of licence —** Every application for the renewal of a licence to manufacturer or to commence or to carry on business as a manufacture or dealer of a dangerous machine shall be made in Form III and Shall be accompanied by a fee specified in sub rule (1) of rule 3

5. **Cautions to be included in the manual of instruction—** Every mannual of instructions prepared in pursuance of secton 15 shall includes therein the following cautions, namely:—

(i) do not wear loose,dress bangles and the like while working ;

(ii) do not smoke and light fire near the threshing yard or the thresher ;

(iii) do not be under the influence of intoxicants like liquor opium and the like while working;

(iv) do not stand on the thresher while it is in operation or during its transpofation ;

(v) do not cross over the belts ;

(vi) do not feed earheads by hand use pushing device ;

(vii) do nor uorl when tired ;

(viii) do not operate the thresher without guards and other safety devices ;

(ix) do not make any adjustment when the thresher is in operation ;

(x) do not put or take off, belt when the pulley is running ;

(xi) do not insert your hand beyond the caution mark in the feeding chute.

6. Declaration under section :- 16 Each declaration made under section 16 shall be made in form IV.

7. **Manner in which Register Records tnd Accounts shall be maintained.—**

(1) Every manufacturer shall maintain a monthly register in Form V indicating therein, the number and other particulars of each dangerous machine manufactured by him during the month.

(2) Every manufacture and every dealer shall maintained a register in Form VI indicating thereing the monthly stock of dangerous machines or prats thereof in his custody or control during the month , and also the particulars of the addition to, or substraction from the stock and the total stock carried over to the next month

(3) Every manufacture or a dealer shall maintain a monthly account in Form VII indicating therein the value of the transactions which have take place in the course of the month and the amount realised, or to be realised in connection with such transactions and when no transactions take place in any month, a 'Nil' Record shall be made.

8. **Form in which applicton to be made for the registaton by the user of dangerous machine :—**

(1) Every applicton by the usrers of dangetous machines the registration there of shall be made in Form VIII and shall be accompanies by the fee specificed in colum (2) of the Table below

TABLE

(1)	(2)
(a) where the value of the dangerous machines does not exceed five hundred urpees.	Hundred rupees
(b) Exceeds five thousand rupees but does not exceed ten thousand rupees.	One hundred fifty rupees

(2) Every Certificate of registralion granted by the controller to the application shall be in From IX.

(3) Registration number of every dangerous machine shall be distinctively rnarked, in Roman-script with black colour on white black ground of 10"X15" area on the body of machine or on a plate permanently fixed on the machine

(4) Register referred to in sub-section (3) of section 19 shall be maintained in From X.

9. **Arrangements for rendering first aid—**There shall, with each dangerous machine be provided and maintained, so as to be readily accessible during all operating hours of the machine, a First Aid Box, distintively marked with a red cross on white back ground. Equipped with following contents:-

(i) Six small size sterilized dressings.

(ii) Three medium size sterilized-dressings;

(iii) Three large size sterilized dressings;

(iv) Three long size Burn dressings ;

(v) One 100 ml. bottle of a mercurochrome solutions;

(vi) One 100 ml bottle of a suitable antiseptic solution ;

(vii) One 30 ml bottle of containing salvalatile;

(viii) One pair scissor;

(ix) One roll of adhesive plaster;

(x) Six picces of sterilized eyepaste in separate sealed pads;

(xi) A bottle containing 100 tablets (cach 5 grain) of Asprin or any other Analgesic;

(xii) Polythene wash bottle (1/2 litre cap.) for washing eyes;

(xiii) One 60 ml. bottle containing poltasium permanganate crystals;

(xiv) One terniquit;

(xv) One dozen safety pins;

(xvi) 6 nos. of suitable splints;

(xvii) Sufficient cotton.

(xviii) First Aid Leaflet in the language spoken by operators/users of the machine.

10. **Form of Nomination.—**

(1) The nomination referred to in the first proviso to sub-section (l) of section 22 shall be made in Form XI.

(2) The Controller shall maintain a register of nomination filed with him under the first proviso to sub-section (l) of section 22 in Form XII.

11. **Compensation to be determined by the insurer. —** The detemination of the amount of Compensation payable under sub-section (1) of Section 22 shall be made by the insurer in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 22, and the amount of the compensation shall be equal to the amount which would have been payable if the operator had been a workman within the meaning of the Workmen's Compensation Act, 1923 (No. 8 of 1923)

12. **Insurable amount how to be determined.—** Every employer shall take out, insurance policy as under ;—

(i)	(A)	Power thresher/ Power operated chaff cutter and sugarcane crusher having horse power up to 15 HP	.. ..	Per machine/per annum Rs.500.00
	(B)	Power thresher/ Power operated chaff cutter and sugarcane crusher having horse power more than 15 HP, but not exceeding 50 Hp.	.. ..	Per machine/per annum Rs.750.00
	(C)	Power thresher/Power operated chaff cutter and sugarcane having horse power exceeding 50 Hp.	.. ..	Per machine/per annum Rs. 1000.00

(ii) In respect of operators of dangerous machines who are not paid any remuneration, a national value of wages for such operators may be fixed at Rs. 4500 per month for the purpose of Computation of compensation payable as per the schedule of the Workmen's-Compensation Act, 1923 (No. 8 of 1923)

13. **Notice under section 26 how to be delivered.—** The notice referred to in sub-section (l) of Section 26 shall be delivered by the employer to the Inspector, if possible, personally, or where such personal delivery is not practicable, the employer shall send such notice to the lnspector by registered post, duly acknowledge.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

SCHEDULE
(See Rule 3)

FORM-I
[(See rule 3(1)]

Form of application for license to manufacturc/commence or carry on business as a manufacturer of danger-ous machines.

1. Name of applicant ______________________________
2. Whether sole proprietorship/ ______________________________
   Partnership/Public limited/
   Private limited company/Trust
3. Full postal address ______________________________
4. Dangerous machine for which License is required ______________________________
   ____
5. Specifications and other details ______________________________
   (a) Trade name ______________________________
   (b) Brief description ______________________________
   (c) Overall dimensions ______________________________
   (d) Capacity of Prime mover ______________________________
       (in HP) required to operate machine
   (e) Output (Quintals/hour) ______________________________
   (f) Number of Person required to operate ______________________________
   (g) Prcscribed standards to which ______________________________
       machine confiIms or will ______________________________
       confirm (Specify standard) ______________________________

6. I/We hereby apply for commencing/carrying on business as a manufacture. A licence of Rs. .... has been deposited in cash/by cheque vide receipt No. ……………………….dated .... (enclosed).

7. (i) I/We declare that the machine to be manufacturcd will confirm to the standards laid down by the Danger ous Machines (Regulation) Act, 1983 (No. 35 of 1983) (For applicant proposing to commence business as a manufacturer).

   (ii) I/We declare that the Dangerous machines being manufactured by us comply with the standards prscribed under section 13 (For applicant proposing to carry on business)

   [Strike out 7 (i) or (ii) whichever is not applicable]

Date ______________________________

Place ______________________________

Signature of applicant
Designation

FORM-II
[(See rule 3(2) and (3)]

Form of application for licence to commence or carry on business as a Dealer in dangerous machines.

1. Name of applicant ____________________

2. whether sole proprietorship/partnership etc ____________________

3. Full postal adderss ____________________
____
____

4. Dangerous machine (s) for which license is required (give trade name with brief description of each). ____________________

5. Do machines confirm to prescribed stand ard (indicate which standard). ____________________

6.

Name of manufacture	whether licensed under the Dangerous machines (Regulation) Act, 1983	If yes No. and date of license name of licensing authority
(1)	(2)	(3)

Note.— lnformation under (5) or (6) above, subject to verification will be considered adequate for grant of a license

7. I Hereby apply for commencing/carrying on business as a dealer in dangerous machines. A licence fee of Rs ……….............………… has been deposited in cash/by cheque vide receipt no................................... dated ……….................... (enclosed).

8. I/We declare that I/we will not deal in machines which do not confirm to the standards prescibed under the Dangerous Machines (Regulation) Act, 1983 (No. 35 of 1983).

Date ____________________

Place ____________________

Signature of applicant
Designation

FROM—III
(See rule 4)

Form of application for renewal of licence to manufacture commence or carry on business as manufacture or dealer of dangerous machine

1. Name of applicant ____________________
2. Full adderss ____________________
____

3. Details of license sought to be renewed
   (i) Licence No. and date ____________________
   (ii) Validity period ____________________

4. A licence renewal fee of Rs................................ has been deposited in cash/by cheque vide receipt No..................... date ______________ (enclosed).

Date ____________________

Place ____________________

Signature of applicant
Designation

FROM IV
(See rule 6)

Form of declaration to be made in triplicate to enable the registration of a dangerous Machine under the Act

I /we have transfeaed by sale lease or hire/supplied (deletes whichever is not applicable) to Shri/ Messer's __________ ____________________ (Name) of ____________________
____
____________________ (Address) ____________________ (give figures) Nos. of ____________________ (Name of machine) of the under mentioned particulars on ____________________ (Date) Certified that this machine Confirms/ these machines confirm (delete whichever is not applicable) to be standards laid down by or under the Act- are the rules and others made there under:—

1. Make and model ____________________
2. Sr. No. of the machine ____________________
3. Year of manufacture ____________________
4. H.P/K.W. ____________________
5. Capacity ____________________

Date ____________________

Place ____________________

Signature ____________________
Designation ____________________
Address ____________________

FROM V
[See rule 7 (1)]

Form of Register to be maintained by the manufacture

serial Number	Month and year of Manufactue	Berif details of the machines, Models and size of prime mover (If Provided with machine)
(1)	(2)	(3)

FROM VI
[See rule 7 (2)]

Register of Stock to be maintained the manufacturer/dealer

S.no	Brief description of the machine make model capacity	Date	particulars of the opening stock	Particulars of stock received during the month	Particulars of the machines sold transferred or otherwise disposed of during the month	Particulars of the closing stock
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

FROM VII
[See rule 7 (3)]

Register of Stock monthly Accounts

Date	particulars of the opening stock	Particulars of the stock sold, transferred or otherwise disposed of during the month	The amount received or receivable during the month in relation to to each transaction	Total amount received during the month	Total expenditure debitable to the concerned month	Total gain or loss debatable to the concerned month
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

FROM VIII
[See rule 8 (1)]

Form of application by users for registration dangerous machines

I/We ———————————————(Name)———————————————

———————————————————————————————

———————————————————————————————(address)
own/ have acquired control (as hirer/lease or otherwise) of the machine the particulars of which are given below and beg to apply for the registration of the same namely :—
(a) Name and Number of the machine ——————————
(b) Make/model ——————————
(c) Date/Year of purchase/hire lease or other transfer ——————————
(d) Name and address of the supplier /transferer ——————————

The cefiificate to the effect that the machine confirms to prescribed standards is attached.

Certified that I/We have been using the machine since prior to the coming in to force of the Act and the machine confirms/has been so modified as to confirm to the prescribed standards. A registration fee of Rupees ————— per machine has been deposited vide cash/cheque/ challan ————(date)———— and No———— and the receipt is enclosed

(Stike out whichever is not applicable)

Date ——————————
Place ——————————

Signature and address

FROM IX
[See rule 8(2)]

Form of certificate to be granted by the cotrtroller to the user

Registration No.——————

1. Name of the user ——————————
2. Name (Father's./Husband's) ——————————
3. Address ——————————

Particulars of the used machine

1. Name of the used dangerous machine ——————————
2. Make and model ——————————
3. Year of Manufacture with supplier's name and address ——————————
4. Sl.No. of the machine, if any ——————————

Date ——————————
Place ——————————

Signature and seal of the Registering Authoriy
(Controller)

FORM X
[See rule 8 (3)]

Form of register to be maintained by the controller under section 19 (3)

Sl. No.	Name of the dangerous machine	Manufactured by (give full address)	Supplied by (Give full address)	Make model, capacity & Sl no of the machine if any	whether a new machine or old modified machine	Owned/used by(Here give name and Full address)	Date of grant of registration
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

FORM XI
[see rule l0 (1)]

Foam of nomination to be made under the first proviso to sub section (l) of section 22

I————————————(Name) S/o————————————
————————————(Name) of————————————
————————————(Address) do not have any any family and conqequently I hereby nominate shir————————————
(Name) S/o,D/o————————(Name) of————————Address————————
———————— to receive full payment of the compensation which would be payable under this Act in the event of my death during the operation of a dangerous machine.

Signature————————
Full Name————————

Place————————
Date————————

Witness————————
(Name)
————————
(Address)
————————
(Date)

FORM XII
[See rule 10 (2)]

Form of register to be maintained by the controller

Sl.No.	Received from (Give name and full address of the Operator making the nomination)	Name of the operators employer	Name and full address of the Nominee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 20-05/2016/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत परिशिष्ट-1 की कंडिका-24 के अंतर्गत परिभाषित "वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र" ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से जारी करने हेतु, निम्नानुसार सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है :—

i	a.	सूक्ष्म उद्योग	संबंधित जिले के प्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
	b.	लघु/मध्यम/वृहद उद्योग	संबंधित जिले के महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
ii	a.	सूक्ष्म सेवा उद्यम	संबंधित जिले के प्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
	b.	लघु/मध्यम/वृहद सेवा उद्यम	संबंधित जिले के महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
iii	मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट		संयुक्त संचालक/अपर संचालक, उद्योग संचालनालय.

औद्योगिक नीति 2014-19 के पूर्व के प्रकरण छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-121/2009/11/(6) दिनांक 31-01-2011 से प्रशासित होंगे.

2. Ease of Doing Business के तहत् विभाग में सरलीकरण, स्वप्रमाणीकरण व अधिकारों का विकेन्द्रीकरण तथा प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा तय किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए, वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन करने, उनके निराकरण करने की प्रक्रिया एवं राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2014-19 के परिप्रेक्ष्य में एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती है :—

2.1 वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र (नवीन उद्योग/विद्यमान उद्योग का विस्तार/विद्यमान उद्योग में डायवर्सीफिकेशन) का प्रारूप परिशिष्ट-1 अनुसार होगा.

2.2 आवेदन ऑनलाईन जमा करने से पूर्व इकाई को यथा स्थिति जो लागू हो, उद्यम आकांक्षा या यूनिट रजिस्ट्रेशन [सिंगल विन्डो प्रणाली के तहत इकाईयों (दिनांक 18-09-2015 के बाद उद्यम आकांक्षा क्रमांक प्राप्त एमएसएमई इकाईयों को छोड़कर) द्वारा प्राप्त ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक] पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है.

2.3 इकाई को ऑनलाईन आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भर कर, निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-3) में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाण पत्र (यदि इकाई का प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेश रु. 10 लाख से अधिक हो) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (औद्योगिक नीति 2014-19 की परिशिष्ट-1 में परिभाषित क्रमांक 39 अनुसार) ऑनलाईन संलग्न करना होगा. यदि इकाई का प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेश रु. 10 लाख से कम है तो आवेदन में पूंजी निवेश संबंधी जानकारी परिशिष्ट-3 के प्रारूप में ही स्वप्रमाणन के आधार पर इकाई को भरते हुये ऑनलाईन संलग्न करना अनिवार्य होगा.

2.4 इकाई द्वारा निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2) में शपथ-पत्र ऑनलाईन आवेदन के समय स्वीकृत करना होगा जिससे इकाई द्वारा प्रदाय समस्त जानकारी की सत्यता का प्रमाण हो सके एवं उसकी सत्यता का विधित् भार इकाई पर होगा.

2.5 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु औद्योगिक इकाई को ऑनलाईन (इकाई के लॉग-ईन में) एवं इकाई की सुविधा के लिये ई-मेल पर भी परिशिष्ट-4 अनुसार, सूचित किया जावेगा जिसमें स्थल निरीक्षण का दिनांक एक स्थल निरीक्षण अधिकारी के नाम, पद व मोबाईल नं. का विवरण भी होगा. साथ ही अनिवार्य दस्तावेजों की सूची जिनका परीक्षण किया जाना है, इकाई को तैयार रखने हेतु सूचित किया जावेगा. निरीक्षण तिथि की सूचना पंजीकृत मोबाईल नं. पर एस.एम.एस. से भी, सुविधा की दृष्टिगत, प्रेषित की जावेगी.

2.6 वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु स्थल निरीक्षण, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/सेवा उद्यमों के प्रकरणों में यथासंभव, प्रबंधक/सहायक प्रबंधक तथा मध्यम, वृहद उद्योगों/मध्यम सेवा उद्यमों के प्रकरणों में, प्रबंधक तथा मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा किया जावेगा. आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्न सह पत्रों के स्वप्रमाणित जानकारियों में किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में, उसे सिद्ध करने का दायित्व संबंधित आवेदन इकाई का ही होगा एवं उसकी उत्तरदायिता भी आवेदक इकाई की ही होगी.

2.7 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/सेवा उद्यमों, मध्यम उद्योगों/सेवा उद्यमों तथा वृहद उद्योगों के प्रकरणों में 10 दिवसों में तथा मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में 12 दिवसों में स्थल निरीक्षण कर उसका प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-5) अनुसार ऑनलाईन प्रक्रिया में प्रस्तुत करना होगा.

2.8 स्थल निरीक्षण के संबंध में वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र में निहित-पूंजी निवेश, उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक व रोजगार-निरीक्षण प्रतिवेदन इन्हीं बिन्दुओं को केन्द्र में रखकर किया जावे, इस हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देशों का पालन किया जावे :—

अ. राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2014-19 में दी गई परिभाषाओं/योजना के आधार पर एवं विद्यमान उद्योगों के विस्तार शवलीकरण से संबंधित प्रकरणों में यह स्पष्ट किया जावे कि प्लांट एवं मशीनरी, उत्पाद की क्षमता एवं रोजगार में निर्धारित मात्रा में वृद्धि हुई है अथवा नहीं.

ब. ऑनलाईन आवेदन-पत्र में पूंजी निवेश संबंधी जानकारी का सत्यापन निरीक्षण अधिकारी द्वारा, संलग्न सी.ए. प्रमाण पत्र/स्वप्रमाणित परिशिष्ट-3 (जैसा लागू हो), के आधार पर किया जावेगा.

स. विद्यमान इकाई के विस्तार के प्रकरणों में औद्योगिक नीति 2014-19 के अनुसार उत्पाद/उत्पादों की वार्षिक क्षमता का निर्धारण सी.ए. प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3. अ. के आधार पर तथा पूंजी निवेश निर्धारित की गई न्यूनतम मान्य सीमा का सत्यापन भी सी.ए. प्रमाण पत्र, के आधार पर किया जावेगा.

द. निरीक्षण अधिकारी इकाई के उत्पाद/सेवा का निरीक्षण करेंगे एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि का सत्यापन उत्पाद से संबंधित प्रमुख प्रथम कच्चा माल क्रय/विद्युत कनेक्शन दिनांक तथा प्रथम विक्रय की तिथि के आधार पर करेंगे. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक इकाई द्वारा दिया उत्पादन दिनांक, प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक/विद्युत कनेक्शन दिनांक से प्रथम विक्रय तक के मध्य का कोई दिनांक हो.

ई. स्थल निरीक्षण अधिकारी, औद्योगिक इकाई में रोजगार का सत्यापन निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-4, बिन्दु क्र. 4) में इकाई द्वारा प्रदाय जानकारी/समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार करेंगे.

2.9 निरीक्षणकर्ता अधिकारी निरीक्षण के दौरान न्यूनतम 3 फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे :

1. सम्पूर्ण उद्योग का (गेट से फैक्ट्री तक)
2. उत्पादनरत स्थिति में (शॉप फ्लोर का)
3. निर्मित उत्पाद का
4. आवश्यकतानुसार अन्य

2.10 स्थल निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण पूर्ण करने के 02 कार्य दिवस के भीतर ऑनलाईन निरीक्षण प्रतिवेदन अभिमत एवं टीप सहित अपलोड करना होगा. इकाई द्वारा दी गई किसी जानकारी के स्पष्टीकरण हेतु (यदि आवश्यक हो तो) सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन, प्रकरण में सभी स्पष्टीकरण संबंधी बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए, मात्र एक बार, इकाई को वापस ऑनलाईन (इकाई के लॉग-ईन में) एवं इकाई की सुविधा के लिये ई-मेल पर भी प्रेषित किया जावेगा. इकाई को किसी भी स्पष्टीकरण हेतु 07 दिवस का समय दिया जायेगा. 07 दिवस के भीतर वांछित स्पष्टीकरण पुन: ऑनलाईन जमा न करने पर आवेदन स्वमेव निरस्त हो जावेगा.

2.11 स्थल निरीक्षण के पश्चात् आवेदन पूर्ण पाये जाने पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा इकाई का आवेदन अभिमत एवं टीप सहित संबंधित सक्षम अधिकारी को ऑनलाईन प्रेषित किया जायेगा. इन सभी के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा.

2.12 वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निर्णय लेने की अधिकतम समय-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से निम्नानुसार होगी —

1. सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग — 30 कार्य दिवस

2. सूक्ष्म, लघु, मध्यम सेवा उद्यम — 30 कार्य दिवस

3. मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स — 30 कार्य दिवस

2.13 इस अधिसूचना में अंकित सक्षम अधिकारियों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र परिशिष्ट-6 अनुसार जारी किया जाकर इकाई की ऑनलाईन लॉग-ईन पर उपलब्ध कराया जावेगा. साथ ही इकाई की सुविधा के लिये, ई-मेल पर भी इकाई को प्रेषित किया जावेगा.

2.14 आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी समुचित कारणों का उल्लेख करेगा जो कि इकाई के ऑनलाईन लॉग-ईन पर उपलब्ध रहेगा. इसके साथ स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भी ऐसे प्रकरण में औद्योगिक इकाई को ऑनलाईन में उपलब्ध रहेगा.

2.15 यदि वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र में उल्लेखित इंद्राजों में किसी भी प्रकार की चूक अथवा त्रुटि अथवा कमी अथवा भ्रामक जानकारी के आधार पर जारी होना पाया जाता है तो नोटिस देकर 15 दिवस का अवसर प्रदान करते हुए गुण दोष के आधार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी जिनके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया गया है या उच्च अधिकारी को होगा.

2.16 वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र में चरणबद्ध उत्पादन की प्रविष्टियां/विद्यमान उद्योग में विस्तार/शवलीकरण से संबंधित प्रविष्टियों हेतु अतिरिक्त उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, वह मूल उत्पादन प्रमाण पत्र के साथ पढ़ा जावेगा.

2.17 सक्षम अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में यह भी प्रमाणन किया जावेगा कि वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में अंकित की गई प्रविष्टियां औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् है व उद्योग नवीन/विद्यमान उद्योग में विस्तार/शवलीकरण है.

2.18 वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र निरस्त होने पर सूक्ष्म उद्योग/सूक्ष्म सेवा उद्यम तथा लघु, मध्यम उद्योग/लघु, मध्यम सेवा उद्यम, वृहद् उद्योग के प्रकरणों में अपर/संयुक्त संचालक को अपील की जा सकेगी तथा मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में सचिव (या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी), वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अपील की जा सकेगी. अपील शुल्क रु. 2000/- होगा.

2.19 वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र का आवेदन, निरीक्षण एवं प्रमाण-पत्र के प्रारूप में एवं संबंधित प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के संशोधन का पूर्ण अधिकार वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सुरक्षित रखता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शारदा वर्मा, उप-सचिव.

परिशिष्ट–1

वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन

पूर्व में जारी उत्पादन प्रमाण–पत्र का क्रमांक व दिनांक (विस्तार/शवलीकरण की स्थिति में)

नवीन/विस्तार/शवलीकरण (जो लागू हो, चयन करें)

1. औद्योगिक इकाई का नाम:

2. परियोजना लागत* : रु0 लाख में

3. संगठन का प्रकार:

4. उद्यमी की श्रेणी: चयन करें
सामान्य/एनआरआई–एफडीआई/निर्यातक/
महिला/अजजा/अजा/अपिव/विकलांग (दिव्यांग)/
भूतपूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावित

5. औद्योगिक इकाई की श्रेणी: सूक्ष्म/लघु/मध्यम/वृहद/मेगा/अल्ट्रा मेगा

6. उद्योग का वर्ग: सामान्य/प्राथमिक/संतृप्त/कोर

7. इकाई का स्थल:
(गांव/तहसील/जिला/एरिया पिन कोड सहित)

8. प्रमुख गतिविधि: विनिर्माण/सेवा

प्रमुख उत्पाद/सेवा	एन.आई.सी. कोड

9. निर्मित उत्पाद/सेवा प्रदाय:

नवीन इकाई के लिये						विद्यमान इकाई में विस्तार	
क्र.	उत्पाद/सेवा का नाम	गतिविधि कोड	उत्पादन दिनांक	वार्षिक क्षमता	इकाई	क्षमता में वृद्धि	विस्तार पश्चात् कुल क्षमता
1							
2							
शवलीकरण के प्रकरणों में							
3	शवलीकरण के अंतर्गत शामिल नवीन उत्पाद					NA	

*परियोजना लागत: ई0एम0 पार्ट–1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेन्स/एम.ओ.यू. हेतु दिये गये आवेदन के साथ संलग्न परियोजना प्रतिवेदन में औद्योगिक इकाई द्वारा दर्शायी गयी उद्योग की परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर)

10. पूंजी निवेशः

क्र.	परिसंपत्तियों का नाम	नवीन इकाई/विद्यमान इकाई	विद्यमान इकाई में विस्तार/ शवलीकरण	योग
1	भूमि/भूमि विकास			
2	शेड–भवन			
3	यंत्र–संयंत्र/उपकरण			
4	विद्युत स्थापना			
5	जल स्थापना			
	योग			

11. रोजगारः

श्रम का प्रकार	विद्यमान/नवीन औद्योगिक इकाई में रोजगार			विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार/शवलीकरण हेतु अतिरिक्त रोजगार			विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार/शवलीकरण पश्चात् कुल रोजगार		
	राज्य के निवासी	अन्य	योग	राज्य के निवासी	अन्य	योग	राज्य के निवासी	अन्य	योग
01	02	03	04 (2+3)	05	06	07 (5+6)	08 (2+5)	09 (3+6)	10 (4+7)
अकुशल									
कुशल									
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय									
योग									

12.विद्युत भार एवं बी.पी.नम्बर | संख्या | एच.पी./के.व्ही.ए./के.डब्ल्यू. | बी.पी.नम्बर |

उर्जा के अन्य स्त्रोत : | उद्यम आकांक्षा अनुसार |

13. पंजीयन क्रमांक

i. पैन/भागीदारी फर्म पंजीयन क्र./सी.आई.एन. नम्बर/सोसायटी पंजीयन क्र0:
ii. यू.ए.एम./ई.एम. भाग–2/आई.ई.एम. भाग–ब क्र0:
iii. पर्यावरण (परिचालन की सम्मति) क्र0: (यदि लागू हो)
iv. श्रम (फैक्ट्री लायसेंस) क्र0: (यदि लागू हो)
v. ई.एस.आई. क्र0: (यदि लागू हो)
vi. ई.पी.एफ. क्र0: (यदि लागू हो)
vii. टीन क्र. (वैट, सी.एस.टी.): (यदि लागू हो)
viii. सेवा कर पंजीयन क्र. (एस.टी.2): (यदि लागू हो)

14. संलग्नकः

i. ***सभी इकाईयों के लिये लागू :–*** निर्धारित प्रारुप में चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र (यदि प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेश रु0 10 लाख से अधिक हो)
ii. ***सभी इकाईयों के लिये लागू :–*** विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
iii. ***केवल विद्यमान उद्योगों के लिये लागू :–*** विद्यमान उद्योग में विस्तार/शवलीकरण/चरणबद्ध उत्पादन से संबंधित प्रकरणों में पूर्व में जारी सभी उत्पादन प्रमाण पत्र/अतिरिक्त उत्पादन प्रमाण–पत्र।

अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण

1. अधिकृत प्रतिनिधि का नाम (पंजीयन अनुसार)
2. औद्योगिक इकाई के पत्र व्यवहार का पता (इनमें से कोई एक)

तीन विकल्प

अ. संयंत्र का पता ....

ब. इकाई का पता ....

स. अन्य पता ....

जिला .... राज्य........................ पिन कोड .... मो. नं. ....

ई–मेल आईडी ....

3. उद्यमियों का विवरण (सभी भागीदार/संचालक)

अ. नाम .... लिंग .... वर्ग .... शिक्षा ....

भागीदारी अंश/लाभ के भाग का अनुपात (प्रतिशत में) एवं रु0 में ....

ब. नाम .... लिंग .... वर्ग .... शिक्षा ....

.भागीदारी अंश/लाभ के भाग का अनुपात (प्रतिशत में) एवं रु0 में ....

स. नाम .... लिंग .... वर्ग .... शिक्षा ....

भागीदारी अंश/लाभ के भाग का अनुपात (प्रतिशत में) एवं रु0 में ....

परिशिष्ट–2

शपथ–पत्र

"मैं/हम एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है तथा उसमें कोई तथ्य नही छुपाये गये हैं। मैं/हम तथ्यों से पूर्ण रूपेण सहमत हूं/हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/सही सिद्ध ना हो, तो मैं/हम विधि के अनुरूप कार्यवाही का सामना करूंगा/करेंगे।"

मैं/हम यह भी शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं:–

1. यह कि इकाई का फैक्ट्री स्थल, प्रभावी किसी स्थानीय प्रतिबंधों का उल्लघंन नही करता है तथा यह कि मैं/हम सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्थानीय सम्मतियां प्राप्त कर चुका हूं/चुके हैं।
2. यह कि मैं/हम सभी कानूनी सम्मतियां/अनापत्ति प्रमाण–पत्र/आवश्यक अनुमति विनिर्माण/गतिविधि के संचालन हेतु विद्यमान विधि, नियमन तथा प्रभावी नियमों के तहत् प्राप्त कर चुका हूं/चुके हैं।
3. यह कि मैं/हम आवश्यक पंजीयन/लायसेंस तथा भू–व्यपवर्तन भी जहां अपेक्षित हो, संबंधित कानूनों, नियमों या प्रभावी आदेशों के तहत् उक्त औद्योगिक गतिविधि के संचालन हेतु प्राप्त कर चुका हूं/चुके हैं।
4. यह कि मैं/हम, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/उद्योग संचालनालय में सक्षम अधिकारी को इकाई के संबंध में सभी संशोधन अथवा परिवर्तन की स्थिति में यदि कोई हो, जैसा कि समय–समय पर अपेक्षित है, ऐसे संशोधन अथवा परिवर्तन के 15 दिवस के भीतर में अवगत कराने/सूचित करने का विधिक भार लेता हूं/लेते हैं।
5. यह कि मैं/हम शपथ लेता हूं/लेते हैं कि वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत विवरणी अथवा सूचनाएं गलत अथवा जालसाजीपूर्ण पाया जाता है तो केन्द्र अथवा राज्य शासन की, विभिन्न योजनाओं के तहत् उद्योगों को प्रदत्त सहायता अथवा वित्तीय सुविधाओं या लाभों का 18 प्रतिशत ब्याज सहित केन्द्र अथवा राज्य सरकार को मेरी/हमारी ओर से देय होगा।
6. यह कि मैं/हम पूरी तरह से समझता हूं/समझते हैं कि मैं/हम सभी शर्तो का पालन करुंगा/करेंगें, जिसके चूक करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र निरस्तीकरण के साथ–साथ प्रभावशील अन्य संबंधित कानून एवं नियमों के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही किये जाने का अधिकार रखेंगे।

दिनांक:
स्थान:

शपथकर्ता का नाम
(पद)
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

परिशिष्ट–3

पूंजी निवेश हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/प्रमाण-पत्र का प्रारुप

(सी.ए./इकाई (प्लांट एवं मशीनरी मद मे निवेश रु 10 लाख से कम होने पर) के लेटर हेड पर)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक ....(यहां वैध ई.एम पार्ट–1, उद्यम आकांक्षा, आई.ई. एम., पूर्व उत्पादन प्रमाण पत्र की तिथि, जो भी लागू हो अंकित की जावे) से................(वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक) तक मेसर्स .... द्वारा निम्नानुसार उनके नवीन इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तार/शवलीकरण हेतु पूंजी निवेश किया गया है तथा उनके नवीन इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तार/शवलीकरण में दिनांक .... को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जानकारी निम्नानुसार है:–

1. पूंजी निवेश (रू. लाख में)

क्र.	परिसम्पत्तियों का प्रकार	नवीन/विद्यमान इकाई	विद्यमान इकाई का विस्तार/ शवलीकरण	योग
1.	भूमि/भूमि विकास			
2.	शेड–भवन			
3.	यंत्र–संयंत्र/उपकरण			
4.	विद्युत स्थापना			
5.	जल स्थापना			
योग				

1.1 भूमि

क्र.	क्षेत्रफल	हेक्टे/एकड़/ वर्गफीट	क्रय मूल्य (रु0 लाख में)	प्र–ब्याजी (रु0 लाख में)	योग (रु0 लाख में)

1.2 शेड–भवन

(मूल्य रु0 लाख में)

क्र.	विवरण	नवीन/विद्यमान इकाई	विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार/शवलीकरण	योग (रु0 लाख में)
1.	फैक्ट्री–भवन			
2.	शेड			
3.	प्रयोगशाला भवन			
4.	अनुसंधान भवन			
5.	प्रशासनिक भवन			
6.	केन्टीन			
7.	श्रमिक विश्राम गृह			
8.	वाहन पार्किंग			
9.	सुरक्षा प्रकोष्ठ			
10.	गोडाऊन			
11.	अन्य			
	योग			

क्र.	विवरण	नवीन / विद्यमान इकाई	विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार / शवलीकरण	योग (रु0 लाख में)
1.	यंत्र एवं संयंत्र			
2.	पर्यावरण नियंत्रण उपकरण एवं प्रयोगशाला			
3.	अनुसंधान हेतु यंत्र एवं उपकरण			
4.	परीक्षण उपकरण			
5.	स्थापना व्यय (पूंजीगत हो)			
	योग			

मैं / हम एतद् द्वारा सुनिश्चित करता हूं / करते है कि मैं / हम निर्धारित पंजी, लेखा पंजी एवं उक्त इकाई के संबंध में बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन–सह–परीक्षण कर चुका हूं / चुके हैं।

मैं / हम पूरी तरह से समझता हूं / समझते हैं कि इस प्रमाण–पत्र में दर्शाये गये जानकारी यदि असत्य अथवा झूठ सिद्ध होती है तो मैं / हम दंडात्मक कार्यवाही या अन्य परिणाम जो विधि में निर्धारित हो सकें या अन्यथा सुनिश्चित हो, के योग्य होंगे।

मैं / हम संबंधित अधिकारी के समक्ष किसी भी प्रकार की सूचना जो सत्यापन हेतु अपेक्षित हो, तत्काल प्रस्तुत करुंगा / करेंगें।

हस्ताक्षर एवं स्टॉम्प / हस्ताक्षरकर्ता के सील

नाम..

सदस्यता क्र.......................... फर्म पंजीयन क्र............

पूर्ण पता...

दिनांक...

स्थान...

आवेदक के हस्ताक्षर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के हस्ताक्षर

टीपः– परिशिष्ट–3 के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं स्टॉम्प अनिवार्य है।

परिशिष्ट – 3 अः सी.ए. के लेटर हेड पर (केवल विद्यमान इकाई के विस्तार के प्रकरणों में लागू)

इकाई के उत्पादन का विवरण, बिकी एवं कर भुगतान के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र

इकाई का नामः
उत्पादन क्षमताः परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार

क0	माह	उत्पादन	बिकी	वैट भुगतान की राशि	सी0एस0टी0 भुगतान की राशि	एक्साईज भुगतान की राशि	विद्युत शुल्क	सेवा कर भुगतान की राशि
1	अप्रैल							
2	मई							
3	जून							
4	जुलाई							
5	अगस्त							
6	सितम्बर							
7	अक्टूबर							
8	नवम्बर							
9	दिसम्बर							
10	जनवरी							
11	फरवरी							
12	मार्च							

मैं/हम निम्नानुसार यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं:–

यह कि उक्त सूची का मिलान मेरे/हमारे समक्ष प्रस्तुत लेखा पुस्तकों, देयकों एवं अन्य दस्तावेजों से किया गया है एवं सत्य पाया गया है

यह कि उक्त राशियों का भुगतान इकाई द्वारा दिनांक .... से .... की अवधि में वास्तव में किया गया है।

यह कि उक्त जानकारी समस्त संबंधित विभागों में जमा किये गये रिर्टन के अनुसार है।

यह कि मेरा/हमारा आवेदक इकाई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से व्यावसायिक संबंध के अलावा कोई भी संबंध नही है।

यह कि उक्त परिशिष्ट में दी गई जानकारी मेरे/हमारे द्वारा प्रमाणित की गई है।

मैं/हम निम्नानुसार यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि इस प्रमाण–पत्र में कोई भी जानकारी गलत या भ्रामक पायी जाती है तो छत्तीसगढ़ शासन को मेरे/हमारे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं इस प्रकरण को **The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi** के समक्ष रखने का अधिकार होगा।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम.......................... पताः.................................. सदस्यता क्र0 .... फर्म पंजीयन क्र0............................

टीपः– परिशिष्ट–3.अ. के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं स्टॉम्प अनिवार्य है।

परिशिष्ट–4

संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय
कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र,

क्रमांक– /उत्पादन प्र.पत्र कक्ष/2015/ रायपुर, दिनांक

सूचना पत्र

प्रति,

....

....

....

विषयः– वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आपका आवेदन दिनांक ....।
संदर्भः– आपका आवेदन पत्र........दिनांक......

––00––

उपरोक्त विषय में आपके संदर्भित आवेदन पत्र पर सूचित किया जाता है कि कार्यालय के श्री... .... महाप्रबंधक/प्रबंधक/सहायक प्रबंधक, मोबा0 नं0........................द्वारा दिनांक .... को स्थल निरीक्षण किया जावेगा। स्थल निरीक्षण के समय आप स्वयं अथवा आपके प्रतिनिधि नीचे उल्लेखित दस्तावेज सहित उपलब्ध रहें ताकि स्थल निरीक्षण कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके। निर्धारित तिथि पर उपलब्ध न होने पर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन न होने से आपके आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, व उत्पादन प्रमाण पत्र जारी होने में विलंब का दायित्व आपका होगा।

प्रमुख दस्तावेजों की सूची जिन्हें निरीक्षण समय मूल में (एवं एक छायाप्रति) प्रस्तुत करना होगाः

1. प्रथम कच्चा माल क्रय का बिल
2. विद्युत कनेक्शन प्रदाय का प्रमाण
3. प्रथम विक्रय बिल
4. रोजगार एवं स्थानीय निवास संबंधी जानकारी (परिपत्र क्रमांक 164/औ.नि.प्र.–रा/2005/9766–81, दिनांक 13.06.2006 अनुसार। इसकी छायाप्रति______पर उपलब्ध है)

क्र.	नाम एवं स्थाई पता	पद	पदस्थापना का दिनांक	जन्म तिथि एवं जन्म स्थान	वर्तमान निवास स्थान	मासिक वेतन/मजदूरी	उन दस्तावेजों का नाम जिसके आधार पर राज्य का मूल निवासी मान्य किया गया है	रिमार्क

अपर संचालक/संयुक्त संचालक
उद्योग संचालनालय
मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

परिशिष्ट–5

वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन

(नवीन / विस्तार / शवलीकरण)

अ. सत्यापन

1. **इकाई की जानकारी:**

1	औद्योगिक इकाई का नाम	
2	औद्योगिक इकाई का पता	

2. **पूंजी निवेश** (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण पत्र / स्व–प्रमाणित अभिलेख एवं आवेदन पत्र में अंकित इन्द्राजों के आधार पर सत्यापित):

विवरण	नवीन इकाई / विद्यमान इकाई	विद्यमान इकाई का विस्तार / शवलीकरण	कुल पूंजी निवेश	विस्तार / शवलीकरण के अंतर्गत निवेश का प्रतिशत	परिपालन
भूमि / भूमि विकास					हां ☐ नहीं ☐
शेड–भवन					हां ☐ नहीं ☐
यंत्र–संयंत्र					हां ☐ नहीं ☐
विद्युत स्थापना					हां ☐ नहीं ☐
जल आपूर्ति पर निवेश					हां ☐ नहीं ☐
योग					हां ☐ नहीं ☐
रिमार्क (अनिवार्य):					

ब. निरीक्षण

1. रोजगार

श्रम का प्रकार	नवीन / विद्यमान औद्योगिक इकाई में रोजगार			विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार / शवलीकरण हेतु अतिरिक्त रोजगार			विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार / शवलीकरण पश्चात् कुल रोजगार			रोजगार में वृद्धि का प्रतिशत	परिपालन
	राज्य के निवासी	अन्य	योग	राज्य के निवासी	अन्य	योग	राज्य के निवासी	अन्य	योग		
01	02	03	04 (2+3)	05	06	07 (5+6)	08 (2+5)	09 (3+6)	10 (4+7)	11 {(10-7)/7*100)}	12
अकुशल											हां ☐ नहीं ☐
कुशल											हां ☐ नहीं ☐
प्रबंधकीय / प्रशासकीय											हां ☐ नहीं ☐
योग											हां ☐ नहीं ☐
रिमार्क (अनिवार्यतः)											

सत्यापन हेतु निर्देश :–

1. निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा इकाई के रोजगार संबंधी जानकारी का सत्यापन इकाई द्वारा प्रस्तुत कर्मचारियों के विवरण के अनुसार की जावें।
2. विस्तार तथा शवलीकरण के प्रकरणों में निरीक्षणकर्ता अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रोजगार में वृद्धि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2014–19 के अनुरूप होना चाहिए। निरीक्षणकर्ता अधिकारी को इकाई द्वारा दर्शायें गये रोजगार संबंधी जानकारी की सत्यता पर अनिवार्य रुप से रिमार्क / अभियुक्ति देना होगा।

2. उत्पाद/सेवा

नवीन/विद्यमान औद्योगिक इकाई						विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार			परिपालन
क्र0	उत्पाद/सेवा का नाम	कोड	उत्पादन प्रारंभ दिनांक	वार्षिक उत्पादन क्षमता	यूनिट	विस्तार अंतर्गत क्षमता में वृद्धि	विस्तार पश्चात् कुल क्षमता	विस्तार पश्चात् क्षमता में वृद्धि (प्रतिशत में)	
1									हां ☐ नहीं ☐
2									हां ☐ नहीं ☐
शवलीकरण के प्रकरणों में									
3	शवलीकरण के अंतर्गत नवीन उत्पाद/ सेवा का नाम					NA			
फोटो अपलोड करें	सम्पूर्ण उद्योग का (गेट से फैक्ट्री तक), उत्पादनरत स्थिति में (शॉप फ्लोर का), निर्मित उत्पाद का तथा आवश्यकतानुसार अन्य								
रिमार्क (अनिवार्यतः)									

सत्यापन हेतु निर्देश :-

1. निरीक्षणकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें की इकाई द्वारा जो उत्पाद/सेवा का उल्लेख उत्पादन प्रमाण-पत्र के आवेदन में किया गया है, वास्तव में उन्ही उत्पादों/सेवाओं का विनिर्माण किया जा रहा है एवं इसकी सत्यता पर अनिवार्य रुप से रिमार्क/अभियुक्ति अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में दें।
2. निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि इकाई द्वारा घोषित किया गया उत्पादन दिनांक प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक/विद्युत कनेक्शन प्रदाय दिनांक तथा प्रथम विक्रय दिनांक के मध्य का कोई दिनांक हो।
3. विद्यमान इकाई के विस्तार के प्रकरणों में निरीक्षण अधिकारी औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत विस्तार के प्रमाणन हेतु, इकाई के विद्यमान उत्पादन क्षमता की गणना हेतु, पूर्व में जारी उत्पादन प्रमाण-पत्र में वर्णित उत्पादन क्षमता या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र के परिशिष्ट-3.अ. अनुसार औसत उत्पादन (जो भी अधिक हो), को आधार बनाएंगे ।
4. निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि स्थल निरीक्षण के समय औद्योगिक इकाई के सम्पूर्ण उद्योग का (गेट से फैक्ट्री तक), उत्पादनरत स्थिति में (शॉप फ्लोर का), निर्मित उत्पाद का तथा आवश्यकतानुसार अन्य फोटो लें एवं अनिवार्य रुप से ऑनलाईन निरीक्षण प्रतिवेदन में अपलोड करें।

परिशिष्ट–6

DIRECTORATE OF INDUSTRIES/
DISTRICT TRADE & INDUSTRIES CENTRE, DIST.- ----------

POSTAL ADDRESS, PIN CODE, OFFICE LANDLINE, OFFICIAL E-MAIL

CHHATTISGARH

Certificate no……………

Dated : dd/mm/yy

New/Additional Certificate of Commencement of Production

(Name of the Industries Unit)

* **In favour of the above Industrial unit, following production certificates have previously been issued :-**

1- Letter No ………, Dated……………, Issued by…………………

2- Letter No ………, Dated……………, Issued by…………………

This is to certify that on the basis of information furnished by M/S (entity name) (category of Enterprise) (manufacturing/service) enterprise at the address (address) in the State of Chhattisgarh, has commenced commercial production, as below:

1. Products manufactured/ service provided

Existing/New Unit					In case of expansion		
Sr. No.	Product/Service Name	Activity Code	Annual Capacity	Unit	Capacity added	Total Capacity after expansion	Date of Production
1	Auto filled	Auto filled	Auto filled	Auto filled	Auto filled		
2	Auto filled	Auto filled	Auto filled	Auto filled	Auto filled		
In case of Diversification							
3	Additional product/service under diversification	Auto filled	Auto filled	Auto filled	NA		

2 Capital Investment (Rupees in lakhs)

Sr. No	Type of Asset	New Unit /Existing Unit	Expansion/ Diversification of existing Unit	Total
1	Land/ Land Development			
2	Shed-Building			
3	Plant & Machinery/Equipment			
4	Electricity Installation			
5	Water Installation			
	Total			

3 Total manpower deployed in the industrial unit, as on..............(Date) is as under

Type of labour	Employment in Existing/New industrial unit			Additional Employees for Expansion/ Diversification of Existing Industrial Unit			Total Employees after Expansion/diversification of the existing Industrial Unit		
	State Domiciled	Others	Total	State Domiciled	Others	Total	State Domiciled	Others	Total
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (2+5)	9 (3+6)	10 (4+7)
Unskilled									
Skilled									
Manageri al/Admini strative									
Total									

Notes :

1. This certificate is issued as per the provisions mentioned in the Industrial Policy 2014-19.
2. In case of this being a new certificate of commencement of production, this document is to be read as-is.
3. In case of this being an additional certificate of commencement of production, it must be read in conjunction with and is a part of, all previously issued certificates of commencement of production (new and/or additional), as mentioned at the beginning of this certificate, which must be kept attached and presented together.
4. In case of new units, Capacity/ Installed production capacity mentioned anywhere in this certificate, is as reported by the Industrial Unit only. And, in case of expansion/diversification of existing units, Capacity/ Installed production capacity mentioned anywhere in this certificate, is verified/validated by the Department of Commerce & Industries and/or any of its subordinate/attached office (s) on the basis of previously issued Production Certificate(s), and the submitted Chartered Accountant certificate (as per annexure 3a).
5. Capital investment as indicated in this certificate is on the basis of information furnished by the Unit and information certified by the Chartered Accountant / Unit (as the case may be) itself.
6. This is a one-time computer generated certificate and does not require any seal and signature. This certificate can be verified at..

ADDL/JT.DIRECTOR
Directorate of Industries,
CGM/ GM/MANAGER
District Trade & Industries Centre, Dist.- ....

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक 02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	अमेरा प.ह.नं. 06	0.708	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	मगरवाड़ा व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर नाली निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक 03/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	सोनतरा प.ह.नं. 06	0.972	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	मगरवाड़ा व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर नाली निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक 04/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	बोदा-03 प.ह.नं. 07	0.675	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	मगरवाड़ा व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर नाली निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक 05/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	दुल्लापुर प.ह.नं. 06	4.354	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	मगरवाड़ा व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर नाली निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक 06/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	मगरवाड़ा प.ह.नं. 06	6.672	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	मगरवाड़ा व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर नाली निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक 07/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	सिली प.ह.नं. 07	0.615	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	मगरवाड़ा व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर नाली निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5590/अ-82/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-रनपोटा, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.618 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
454/2	0.004
453/5	0.024
454/3	0.020
249/1	0.024
250/2	0.024
439/3	0.012
438	0.057
453/6	0.032
456/1	0.012
454/5	0.032
457/1	0.020
457/3	0.073
259/1	0.057
455/3, 455/4	0.065
260/1, 262	0.073
439/2	0.012
260/7	0.020
453/2	0.085
455/1	0.028
456/2	0.061
261/2	0.073
272	0.146
275	0.024
453/1	0.032
482/2	0.028
456/3	0.016
440/2	0.049
454/1	0.077
456/4	0.016
486/3	0.016
486/1	0.040
479/3ख	0.020
260/3, 260/5	0.016
479/3 क	0.020
480/1	0.069
437/1	0.028
479/1	0.032
482/3	0.024
480/2	0.069
439/5	0.012
437/2	0.028
260/2	0.020
250/3	0.016
439/8	0.012
योग 44	1.618

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5592/अ-82/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-देवगांव, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.279 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	637	0.186
	638	0.093
योग	02	0.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5594/अ-82/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बासीन, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.483 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	701/7	0.105
	131/5	0.016
	131/6	0.016
	127/2	0.036
	127/3	0.049
	115/1	0.053
	115/5	0.049
	127/1	0.024
	109	0.045
	115/9	0.097
	701/8	0.243
	701/4	0.045
	130	0.016
	127/5	0.024
	256, 257	0.012
	110/1	0.045
	115/4	0.097
	92/5	0.040
	268/4	0.049
	701/5	0.085
	701/13	0.020
	269/2	0.020
	110/4	0.045
	131/1	0.016
	110/3	0.045
	269/1	0.024
	132	0.020
	110/2	0.045
	701/6	0.057
योग	30	1.483

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5596/अ-82/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-घोघरी, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	527/1	0.016
	527/2	0.008
योग	02	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 6 अप्रैल 2016

क्रमांक 2930/न.ग्रा.नि./वि.यो.-बेमेतरा/2016.— छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट बेमेतरा बाह्य वृद्धि निवेश क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त 27 ग्रामों की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं एवं उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है :—

अनुसूची

बेमेतरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बहेरा, बैंजी, लालेसरा, ढोलिया, मजगांव एवं ग्राम नवलपुर की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम नवलपुर, मुड़पार, मोहतरा, पीपरभट्ठा, चोरभट्ठी एवं ग्राम मटका की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम मटका, बीजाभाठा, फरी एवं ग्राम तिलईकुंडा की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम तिलईकुंडा, खिलौरा, ओटेबंध, हथमुड़ी, भुरंकी, सिरवाबांधा एवं ग्राम बहेरा की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग.

No. 2930/D.P. Bemetara/16.—Notice is hereby given for the general information of the public that of existing land use map & register of 27 Village of Bemetara Extended Planning Area so prepared under published are duly adopted by the Joint Director, Town & Country Planning under the provision of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps & register have been duly prepared and adopted on publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

Limit of the Bemetara Planning Area

NORTH : Village Bahera, Bainjee, Lolesara, Dholiya, Manjgaon and Village Navalpur upto north Boundary.
EAST : Village Navalpur, Mudhpar, Mohtara, Peeparbhatha, Chorbhathi and Village Mataka upto East Boundary.
SOUTH : Village Mataka, Beejabhatha, Faree and Village Tilaikunda upto South Boundary.
WEST : Village Tilaikunda, Khilora, Otebandh, Hathmudi Bhurakee, Sirvabandha and Village Bahera upto West Boundary.

The said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for the period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of inspection : Office of the Joint Director, Town & Country Planning, Durg.

जाहिद अली,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्रमांक/732/कसडोल/नग्रानि/2016.— छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय, कार्यालय बलौदाबाजार द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट कसडोल निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं, इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

कसडोल निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम चॉटीपाली, गोरधा एवं कोट ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम कोट, छरछेद एवं बिलारी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बिलारी, बैंगनडबरी, हटौद, धौराभाठा, सेमरिया एवं खरवे ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम खरवे, चकरवाय, दर्रा एवं चॉटीपाली ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

कमला सिंह,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 29th March 2016

No. 239/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The following member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted as District Judge from the date he assumes charge of his office and;

The following member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Veer Singh Salam, President, District Consumer Disputes Redressal Forum.	Ambikapur	Dhamtari	Dhamtari	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 29th March 2016

No. 241/Confdl./2016/II-2-90/2001 (Pt. III).—(A) Shri Santosh Kumar Tiwari, Member of Higher Judicial Service and presently posted as IV Additional District & Sessions Judge, Ambikapur is transferred and appointed as Additional Director-II, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

(B) Shri Omprakash Singh Chouhan, Member of Higher Judicial Service and presently posted as I Additional District & Sessions Judge, Mahasamund is transferred and appointed as Additional Registrar (Admn.) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

(C) Shri Ajay Singh Rajput, Member of Lower Judicial Service and presently posted as I Civil Judge Class-I & C.J.M., Jashpur is transferred and appointed as Deputy Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 29th March 2016

No. 243/Confdl./2016/II-3-1/2016.—The following Senior Civil Judges, as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Ku. Radhika Saini, Secretary, District Legal Services Authority.	Durg	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	II Civil Judge Class-I

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Om Prakash Jaiswal, Deputy Secretary, C.G. State Legal Services Authority.	Bilaspur	Champa	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-I
3.	Shri Santosh Thakur, II Civil Judge Class-I.	Baikunthpur	Katghora	Korba	Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-I, Katghora.

Bilaspur, the 29th March 2016

No. 245/Confdl./2016/II-3-1/2016.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Mahesh Kumar Raj, I Civil Judge Class-II.	Dantewara	Manendragarh	Koriya (Baikunthpur)	Civil Judge Class-II
2.	Smt. Chhaya Singh, I Civil Judge Class-II.	Raipur	Simga	Baloda-Bazar	Civil Judge Class-II
3.	Smt. Rashmi Netam, XI Civil Judge Class-II.	Raipur	Lormi	Mungeli	Civil Judge Class-II
4.	Smt. Ekta Agrawal, X Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Marwahi	Bilaspur	Civil Judge Class-II
5.	Shri Amit Jindal, Civil Judge Class-II.	Simga	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	I Civil Judge Class-II
6.	Shri Hemant Kumar Ratre, Civil Judge Class-II.	Janakpur	Bilaspur	Bilaspur	X Civil Judge Class-II
7.	Shri Diamond Kumar Gilhare, Civil Judge Class-II.	Lormi	Janakpur	Koriya (Baikunthpur)	Civil Judge Class-II
8.	Shri Janardan Khare, Civil Judge Class-II.	Marwahi	Raipur	Raipur	I Civil Judge Class-II
9.	Shri Shyam Kumar Sahu, VI Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Basna	Mahasamund	Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Mahasamund at Basna.
10.	Shri Subodh Mishra, XII Civil Judge Class-II.	Raipur	Sarangarh	Raigarh	Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raigarh at Sarangarh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Shri Anand Borkar, VI Civil Judge Class-II.	Durg	Chirmiri	Koriya (Baikunthpur)	Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Baikunthpur at Chirmiri.

Bilaspur, the 29th March 2016

No. 247/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) and ;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sewak Ram Banjare, Additional District & Sessions Judge.	Kondagaon	Mahasamund	Mahasamund	I Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Sirajuddin Qureshi, Special Judge under SC & ST (P.A.) Act.	Jagdalpur	Surajpur	Surajpur	II Additional District & Sessions Judge.
3.	Shri Uttara Kumar Kashyap, Additional District & Sessions Judge.	Dhamtari	Raipur	Raipur	VI Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Govind Narayan Jangde, Additional District & Sessions Judge.	Pendra Road	Raipur	Raipur	Additional District & Sessions Judge.
5.	Shri Hirendra Singh Tekam, Additional District & Sessions Judge.	Mungeli	Pendra Road	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge.
6.	Shri Mansoor Ahmed, Additional Registrar (Admn.), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Durg	Durg	Addl. Judge to the Court of I ADJ.
7.	Shri Sanjeev Kumar Tamak, II Additional District & Sessions Judge.	Jagdalpur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	I Additional District & Sessions Judge.
8.	Shri Jaideep Garg, Additional District & Sessions Judge.	Kanker	Kondagaon	Kondagaon	Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Shri Shailesh Kumar Ketarap, I Additional District & Sessions Judge.	Jagdalpur	Mungeli	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge.
10.	Shri Rajbhan Singh, Additional District & Sessions Judge.	Jashpur	Kunkuri	Jashpur	Addl. Judge to the Court of ADJ, Kunkuri.
11.	Shri Anand Ram Dhidhi, VII Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	II Additional District & Sessions Judge.
12.	Shri Daya Sindhu Ganveer, VI Additional District & Sessions Judge.	Ambikapur	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	III Additional District & Sessions Judge.
13.	Smt. Sangeeta Navin Tiwari, Judge, Family Court.	Mahasamund	Dongargarh	Rajnandgaon	Addl. Judge to the Court of I ADJ Rajnandgaon at Dongargarh.
14.	Shri Rajendra Kumar Verma, Additional District & Sessions Judge.	Kawardha	Raipur	Raipur	I Addl. Judge to the Court of I ADJ.
15.	Shri Prashant Parashar, II Additional District & Sessions Judge.	Korba	Katghora	Korba	Addl. Judge to the Court of ADJ Katghora.

Bilaspur, the 29th March 2016

No. 249/Confdl./2016/II-3-1/2016.—The following Senior Civil Judges, as specified in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are appointed as Civil Judge Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate for the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vivek Kumar Verma, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Baikunthpur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	I Civil Judge Class-I & C.J.M.
2.	Shri Shahabuddin Qureshi, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Mungeli	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-I & C.J.M.
3.	Shri Anand Prakash Wariyal, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Ambikapur	Jashpur	Jashpur	I Civil Judge Class-I & C.J.M.
4.	Shri Madhusudhan Chandrakar, Civil Judge Class-I, & C.J.M.	Dantewara	Mungeli	Mungeli	Civil Judge Class-I & C.J.M.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Shri Shyam Sunder Kashyap, Secretary, District Legal Services Authority.	Dantewara	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	I Civil Judge Class-I & C.J.M.

Note :— The above officers shall not be entitled to the pay-scale mentioned in Rule 3 (2)(b) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 unless they complete five years of continuous service as Civil Judge Class-I/Senior Civil Judge.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक 2733/तीन-6-1/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक 02), की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-7026/तीन-6-1/2000 दिनांक 12 सितम्बर, 2014 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 (सन् 1966 का 29) एवं रेल्वे एक्ट 1989 (सन् 1989 का 24) के अंतर्गत दण्डनीय और रेल भूमि के उस भाग जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है, में होने वाले अपराधों की जांच एवं विचारण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3403/21-ब (छ.ग.)/2001 दिनांक 04 जुलाई, 2001 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का 2) की धारा 11 (1) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय का, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है :—

सारणी

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (1)	मुख्यालय (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
श्री सर्व विजय अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर.	रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम (कवर्धा) एवं बिलासपुर.

No. 2733/III-6-1/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its previous Notification No. 7026/III-6-1/2000, dated 12-09-2014, the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby, appoints the Judicial Magistrate First Class shown in column No. (1) of the table below to be the presiding officer of the Court of Special Magistrate established by the Govt. of Chhattisgarh under section 11 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. 3403/21-B (C.G.)/2001, dated 04th July, 2001 for enquiry and trial of offences under the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under the Railway Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) arising out of the Railway Lands running through territories of Civil District shown in column No. (3) of the said table with effect from the date of this assuming charge of his office.

TABLE

Name of the Judicial Magistrate First Class (1)	Head Quarter (2)	Local Area (3)
Shri Sarv Vijay Agrawal, Judicial Magistrate First Class, Raipur.	Raipur	Raipur, Mahasamund, Dhamtari, Balodabazar, Durg, Bemetara, Balod, Rajnandgaon, Kabirdham (Kawardha) and Bilaspur.

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

In the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur

Company Rules & Forms

FORM No. 48
(See rule 99)

No. 6603/Company Petition No. 6/2004 Bilaspur, the 7th April 2016

Original Jurisdiction In the matter of the Companies Act, 1956

and

In the matter of an application under Section 433 (a) & (f) & 434 of the said Act.

Company Petition No. 06 of 2004

M/s Deshpriya Dealers (P) Ltd, a Company incorporated under the relevant provisions of the Companies Act, 1956 having its Registered office at 147, M.G. Road, Kolkata 700007 (In Liquidation)

Vs.

M/s Albright Steel Industries Ltd., a company incorporated under the relevant provisions of the companies act, 1956, having its Registered office at Rawabhata, Industrial Area (Urla), Raipur (C.G.)

Advertisement of Petition

As per Order of Hon'ble Court dated 21-03-2016 notice is hereby given that a petition for the winding-up of the above named company (M/s Albright Steel Industries Ltd.) in the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur was presented on 31st August 2004 by M/s Deshpriya Dealers (P) Ltd., having its registered office at 147, M.G. Road Kolkata 700007 petitioner/Creditior and that the said petition is directed to be heard before the Hon'ble Court on the 25th April 2016.

Any Creditor, Contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petition or his advocate not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition, and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in court, and a copy served on the petitioner or his advocate, not less that 5 days before the dated fixed for the hearing.

Pooran Singh Thakur,
Deputy Registrar (Civil)

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

ORDER SHEET

COMP No. 5 OF 2004

M/s Pushkar Mercantile Pvt. Ltd. **Versus** M/s Albright Industries Ltd. And Others

COMP 6/2004

SB
Hon'ble Shri Justice Prashant Kumar Mishra

21-03-2016	Shri BP Sharma and Shri M.L. Saket, Advocate for the petitioner. No one appears for the respondent. Heard. Perusal of the petition and the return including the additional return would indicate that the petitioner company had advanced loan of Rs. 16,59,249/- in company petition No. 5/04 and Rs. 19,73,431/- in company petition No. 6/04 to the respondent company. This has been acknowledged in writing by the respondent company by issuing confirmation of account (Annexure P-3) showing above stated amount due to the petitioner. Before filing the present company petitions for winding up of the respondent company, a registered notice was sent to the respondent company threatening legal action including winding up in default of payment, however, the respondent company did not respond to the notice. In the present company petitions for winding up, return and additional return have been filed, however, the confirmation of account (Annexure P-3) issued by the respondent company acknowledging the debt has not been denied. Thus, *prima facie* the respondent company is neglecting to pay the debt, therefore, it would occasion a circumstance under Section 433 (e) of the Companies Act, 1956 for order for winding up of the respondent company. Since the respondent company has taken a plea that there are workers in the factory, it is appropriate to direct advertisement of the petition and thereafter to proceed to pass order for winding up. The petitions are admitted for issuance of advertisement in Form No. 48 as provided under Rule 96 & 99 of the Companies (Court) Rules, 1959. Registry shall get published the advertisement in the Chhattisgarh Gazette as required under Rule 96 & 99 read with Rule 24 of the Rules, 1959. The Gazette notification shall be issued in any of the edition of the Chhattisgarh Gazette at least two weeks prior to the next date of hearing. Let the prescribed advertisement in Form No. 48 be also handed over to learned counsel for the petitioner for its publication also in one English National news-paper and one widely circulated Hindi news-paper of Raipur where the registered office of the respondent company is situated. List the petitions for further orders on winding up of the respondent company on 25th April, 2016. Sd/- **P. K. Mishra,** Judge.	
Ashu		

In the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur

Company Rules & Forms

FORM No. 48
(See rule 99)

No. 6605/Company Petition No. 5/2004 Bilaspur, the 7th April 2016

Original Jurisdiction In the matter of the Companies Act, 1956

and

In the matter of an application under Section 433 (a) & (f) & 434 of the said Act.

Company Petition No. 05 of 2004

M/s Puraskar Mercantile (Pvt) Ltd., a Company incorporated under the relevant provisions of the Companies Act, 1956 having its Registered office at 147, M.G. Road, Kolkata 700007 (In Liquidation)

Vs.

M/s Albright Steel Industries Ltd., a company incorporated under the relevant provisions of the companies act, 1956, having its registered office at Rawabhata, Industrial Area (Urla), Raipur (C.G.)

Advertisement of Petition

As per Order of Hon'ble Court dated 21-03-2016 notice is hereby given that a petition for the winding-up of the above named company (M/s Albright Steel Industries Ltd.) in the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur was presented on 31st August 2004 by M/s Puraskar Mercantile (Pvt) Ltd., having its registered office at 147, M.G. Road Kolkata 700007 petitioner/Creditor and that the said petition is directed to be heard before the Hon'ble Court on the 25th April 2016.

Any Creditor, Contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petition or his advocate not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition, and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in court, and a copy served on the petitioner or his advocate, not less that 5 days before the dated fixed for the hearing.

Pooran Singh Thakur,
Deputy Registrar (Civil)

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

ORDER SHEET

COMP No. 5 OF 2004

M/s Pushkar Mercantile Pvt. Ltd. **Versus** M/s Albright Industries Ltd. And Others

COMP 6/2004

SB
Hon'ble Shri Justice Prashant Kumar Mishra

21-03-2016 Ashu	Shri BP Sharma and Shri M.L. Saket, Advocate for the petitioner. No one appears for the respondent. Heard. Perusal of the petition and the return including the additional return would indicate that the petitioner company had advanced loan of Rs. 16,59,249/- in company petition No. 5/04 and Rs. 19,73,431/- in company petition No. 6/04 to the respondent company. This has been acknowledged in writing by the respondent company by issuing confirmation of account (Annexure P-3) showing above stated amount due to the petitioner. Before filing the present company petitions for winding up of the respondent company, a registered notice was sent to the respondent company threatening legal action including winding up in default of payment, however, the respondent company did not respond to the notice. In the present company petitions for winding up, return and additional return have been filed, however, the confirmation of account (Annexure P-3) issued by the respondent company acknowledging the debt has not been denied. Thus, *prima facie* the respondent company is neglecting to pay the debt, therefore, it would occasion a circumstance under Section 433 (e) of the Companies Act, 1956 for order for winding up of the respondent company. Since the respondent company has taken a plea that there are workers in the factory, it is appropriate to direct advertisement of the petition and thereafter to proceed to pass order for winding up. The petitions are admitted for issuance of advertisement in Form No. 48 as provided under Rule 96 & 99 of the Companies (Court) Rules, 1959. Registry shall get published the advertisement in the Chhattisgarh Gazette as required under Rule 96 & 99 read with Rule 24 of the Rules, 1959. The Gazette notification shall be issued in any of the edition of the Chhattisgarh Gazette at least two weeks prior to the next date of hearing. Let the prescribed advertisement in Form No. 48 be also handed over to learned counsel for the petitioner for its publication also in one English National news-paper and one widely circulated Hindi news-paper of Raipur where the registered office of the respondent company is situated. List the petitions for further orders on winding up of the respondent company on 25th April, 2016. Sd/- **P. K. Mishra,** Judge.	

In the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur

Company Rules & Forms

FORM No. 48
(See rule 99)

No. 6938/Company Petition No. 8/2015 Bilaspur, the 18th April 2016

Original Jurisdiction In the matter of the Companies Act, 1956

and

In the matter of an application under Section 433 (e), 434 & 439 of the said Act.

Company Petition No. 8 of 2015

M/s Indian Steel & infrastructure private limited, having its registered office at 64-B, B. K. Paul Avenue, Kolkata West Bengal and Corporate Office at Office at O-2 Farista Complex, G.E. Road, Raipur, C.G. represented through its authorized signatory Shri Vaibhav Goyal, S/o Vijay Goyal, aged 26 years, R/o MM Block, Second Floor, Farista Complex, Raipur (C.G.)

Vs.

M/s Brahaspati Iron and Steel Company Private Limited, having its registered office at A-29, Amrapali Society, Near Panchapadi Naka, Infront of MMI Hospital, Raipur (C.G.) within the Jurisdication of this Hon'ble Court (In Liquidation).

Advertisement of Petition

As per Order of Hon'ble Court dated 04-04-2016 notice is hereby given that a petition for the winding-up of the above named company (M/s Brahaspati Iron & Steel Company Private Limited.) in the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur was presented on 24th June 2015 by M/s Indian Steel & infrastructure private limited, having its registered office at 64-B, B.K. Paul Avenue, Kolkata West Bengal and Corporate Office at Office at O-2 Farista Complex, G.E. Road Raipur, C.G. represented through its authorized signatory Shri Vaibhav Goyal, S/o Vijay Goyal, aged 26 years, R/o MM Block, Second Floor, Farista Complex, Raipur (C.G.) petitioner/Creditor and that the said petition is directed to be heard before the Hon'ble Court on the 5th May 2016.

Any Creditor, Contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petition or his advocate not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition, and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in court, and a copy served on the petitioner or his advocate, not less that 5 days before the dated fixed for the hearing.

Pooran Singh Thakur,
Deputy Registrar (Civil)

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

ORDER SHEET

COMP No. 8 OF 2015

M/s Indian Steel and Infrastructure Private Limited **Versus** M/s Brahaspati Iron and Steel Company Private Limited

04-04-2016	Heard Shri M. N. Thakur, counsel for the petitioner and Shri S. S. Rajput, counsel for the respondent. This matter is de-linked from the batch of matters, which have been dismissed today for want of prosecution. Return has been filed by the respondent company along with an application for exemption from depositing the cost. Shri Rajput would also pray that the application may be treated as an application for recall of the earlier order, whereby cost of Rs. 1 lac has been imposed. On due consideration and for the fact that return has already been filed by the respondent company, prayer for recalling of the order imposing cost of Rs. 1 lac is allowed. The order dated 29-3-2016 to the extent it imposes cost of Rs. 1 lac on the respondent company is hereby recalled. Heard learned counsel for the parties on the issue of admission of petition and direction as to advertisement in terms of Rule 96 of the Companies (Court) Rules, 1959. Before presenting this company petition under Section 433 (e) of the Companies Act, 1956, the petitioner company has served the statutory notice under Section 434, to which the respondent company did not reply. The petition has been submitted by the authorized signatory, for which the resolution of the company has been annexed. The petitioner has also annexed the relevant credit entries/debit entries, wherein the respondent company has confirmed the account, whereby it has received payment of Rs. 1,05,50,000/-. The return filed by the respondent company has not disputed the correctness of the documents. This Court is, *prima facie*, satisfied that an advertisement needs to be issued for proceeding further in the matter for directing winding up of the respondent company. On payment of required process fee, an advertisement be published :— I. in the official gazette of the State; II. one daily newspaper in the English language; and III. one daily newspaper in the regional language circulating in the State. Let advertisement be published in Form No. 48 within a period of one month and simultaneously it is published in one English newspaper i.e. Times of Inida and one regional Hindi newspaper i.e. Dainik Bhaskar having wide circulation in the area, where the registered office of the respondent company is situated. The original copy of the gazette notification and newspaper publications be presented before this Court on or before the next date of hearing. List it on 05-05-2016 Sd/- **Prashant Kumar Mishra** Company Judge.	
Nirala		